# राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 382/2022

1. मनीष कुमार आलोरिया पुत्र श्री कैलाश चंद आलोरिया, निवासी सामोद, जयपुर।
2. रामकेश चौधरी पुत्र श्री श्योजी लाल चौधरी, निवासी बड़े हॉस्पिटल के सामने, नैनवा, बूंदी।
3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह गुर्जर, निवासी जगदीशपुरा, करौली, राजस्थान।
4. हंसराज सिद्ध पुत्र श्री भगवान नाथ सिद्ध, निवासी सिद्धो का बास, वीपीओ बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर।
5. समक्ष भारद्वाज पुत्र श्री रामअवतार भारद्वाज, निवासी प्लॉट संख्या 30-ए, प्रताप नगर, पुराना रामगढ़ मोड़, जयपुर।
6. मंजीत सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, निवासी वार्ड संख्या 13, झुंझुनू।
7. युधिष्ठर पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, निवासी मकान नम्बर 133, मेघवाला पाड़ा, डाबला, जैसलमेर।
8. मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल रसीद, निवासी बी-971, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर।
9. सुनील कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह, डाबरी, हनुमानगढ़, राजस्थान।
10. खगेश शर्मा पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, निवासी आर्य समाज गली, डीग, भरतपुर।
11. राम लाल पुत्र श्री प्रेम दास, निवासी 2 बीपीएसएम, गंगानगर, राजस्थान।
12. रोशन कुमार पुत्र श्री काशी राम, निवासी मानपुरा बास, भलाऊ टीबा, भलाऊ ताल, चूरू।

13. ललित जांगिड़ पुत्र श्री शीशपाल जांगिड़, निवासी नवाडेरा चौराया, रतनपुर रोड, डूंगरपुर, राजस्थान।

14. मगराम पूनर पुत्र श्री टिक्कू राम पूनर, निवासी बी-106, शंकर नगर, झावर रोड, जोधपुर।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार को अपने सचिव, परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, (आर.एस.एस.बी.), को इसके सचिव राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से।

3. रविन शेखावत पुत्र पदम सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी करणी कॉलोनी अजीतगढ़, तहसील श्रीमादोपुर, जिला सीकर, राजस्थान-332701।

4. नरेंद्र सैनी पुत्र भरत सिंह सैनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी स्वामी दयानंद नगर, वार्ड संख्या 4, तिजारा, जिला अलवर (राजस्थान)।

5. भारत भूषण पांडे पुत्र सुरेश चंद पांडे, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 588ए, सुक्या नगर, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर (राजस्थान)।

6. दशरथ सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी 53/151, बद्रीनाथ कॉलोनी, सागर रोड, आमेर, जयपुर (राजस्थान)।

7. भूपेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ बाछरैन, तहसील वियर, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

8. पंकज कुमार पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी भूतोली जिला भरतपुर-321642।

9. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट बछरेन, तहसील भुसावर जिला भरतपुर (रोल नं. 4011358)।

10. नरेंद्र सैनी पुत्र श्री भरत सिंह सैनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी स्वामी दयानंद नगर, वार्ड संख्या 4, तिजारा जिला अलवर (रोल संख्या 405459)।

11. प्रहलाद सिंह अचारा पुत्र श्री फूल सिंह अचारा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट शाहपुरा, ठिकरैया, जिला सीकर (राजस्थान) (रोल नं. 406926)।

12. नरेश कुमार पुत्र श्री किशना राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट दाउदसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राजस्थान) (रोल संख्या 402192)।

13. कृष्णपाल सिंह राठौड़ पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 197, बेमलावाया, कुरादाबाद कुराएर, कुरावर गिरवा जिला उदयपुर (रोल नं. 505553)।

14. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर।

**----प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6161/2022 से संबद्ध**

1. राहुल असवाल पुत्र जगमाल असवाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मनोहरपरपुर, जयपुर (राजस्थान)।

2. अजीत सैनी पुत्र श्री मोहरपाल सैनी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम सतना, मालाखेड़ा, अलवर (राजस्थान)।

3. विपिन मीना पुत्र भंडू लाल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ जंडमोहल्ला जस्टाना, तहसील बोनली, सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

4. पृथ्वी सिंह पुत्र किशोर सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वीपीओ डाबरी वाई जसवन्तगढ़, लाडनूं, जिला नागौर, (राजस्थान)।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, परिवहन आयुक्त, परिवहन भवन, 22 गोदाम, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिव दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. ओम प्रकाश, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वीपीओ बछरेन तहसील भुसावर जिला भरतपुर पिनकोड 321407।

**---- प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7078/2022**

प्रदीप कुमार दीक्षित पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद दीक्षित, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी फ्लैट-जी2/प्लॉट संख्या 38, डॉ. राजेंद्र प्रसाद नगर, बदरवास जयपुर।

**---- याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार को, अपने सचिव, परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.) को इसके सचिव, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से।

**--- प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9130/2022**

1. सुनील वर्मा पुत्र श्री रामजी लाल वर्मा, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी नई कॉलोनी, तहसील व गांव राजगढ़ जिला अलवर।

2. रवि व्यास पुत्र श्री गौतम व्यास, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी करेरा रोड, बारतू भीम पोस्ट भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, परिवहन विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, (आर.एस.एस.बी.), अपने सचिव, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से।

**---- प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11493/2022**

1. योगेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र दीन दयाल अग्रवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी पुराना बयाना बस स्टैण्ड, नीमदा गेट, भरतपुर (राजस्थान)।
2. लक्ष्मण सिंह भाटी पुत्र शिव सिंह भाटी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी फ्लैट संख्या 6156, ब्लॉक-40, रंगोली गार्डन पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)।
3. तेजभान सिंह पुत्र रवर्ष सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 54, सिमको नगला के पास, तेज सिंह, भरतपुर (राजस्थान)।
4. मीनाक्षी शर्मा पत्नी कमल कुमार मिश्रा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या ए-19, अरावली विहार, विवेकानंद कॉलोनी, दौसा खुर्द, दौसा (राजस्थान)।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

**----प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12859/2022**

इंद्राज सिंह पुत्र श्री गुलझारी लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम जाट भगोला, तहसील मुंडावर, अलवर, राजस्थान।

**----याचिकाकर्तागण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव के माध्यम से, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.), इसके अध्यक्ष के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

**---- प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13538/2022**

अरुण कुमार यादव पुत्र श्री रमेश चंद यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम मांचल, तहसील बहरोड़, अलवर, राजस्थान।

**---- याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.), इसके अध्यक्ष के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

**---- प्रत्यर्थीगण**

**एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13928/2022**

तनुज शर्मा पुत्र श्री गजेंद्र कुमार शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी गोपाल टॉकीज के पास, सिविल लाइन, अलवर-301001।

**---- याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.), इसके सचिव के माध्यम से, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।

**----प्रत्यर्थीगण**

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री मिर्ज़ा फैसल बेग के साथ
श्री गोविंद गुप्ता
श्री अश्विनी कुमार जैमन के साथ
श्री अर्जुन सिंह
श्री राम प्रताप सैनी के साथ
श्री आमिर खान
श्री मुनेश भारद्वाज

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री एस.एस.राघव, एएजी ने
श्री अजय सिंह राजावत की सहायता की
डॉ. गणेश परिहार, एएजी ने
श्री समीर शर्मा की सहायता की
श्री नलिन जी. नारायण के साथ
आर.एस.एस.बी. के लिए श्री अर्पित जैन
श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ

श्री विज्ञान शाह जी के साथ श्री हरेंद्र नील,

श्री यश जोशी और श्री पुलकित भारद्वाज

---

**माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल**

**निर्णय**

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि : 27/01/2023

निर्णय उच्चारित करने की तिथि : 22/02/2023

**रिपोर्टेबल**

1. ऊपर उल्लिखित इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं और इसलिए, जैसा कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सहमत हैं, उन्हें एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है। हालाँकि, सुविधा के लिए, एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 382/2022 में बताए गए तथ्यों पर ध्यान दिया गया है।

2. जिन प्रासंगिक तथ्यों के तहत इन रिट याचिकाओं में विवाद उत्पन्न हुआ है, वे हैं कि राजस्थान राज्य के परिवहन विभाग में मोटर वाहन उप-निरीक्षक (इसके बाद संक्षिप्त रूप से "एम.वी.एस.आई") के 197 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (इसके बाद संक्षिप्त रूप से "आर.एस.एस.बी.") द्वारा विज्ञापन संख्या 06/2021 दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि ऐसे रिक्त पदों को राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 (इसके बाद संक्षेप में "1963 के नियम") के तहत निर्धारित योजना और प्रक्रिया के अनुसार और संशोधित समय-समय पर के अनुसार भरा जाना है। दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन जारी होने के तुरंत बाद, आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 09.12.2021 का एक शुद्धिपत्र विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जो पहले प्रकाशित योग्यता "3 वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित किसी भी योग्यता" के स्थान पर था। "ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में

डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) या राज्य तकनीकी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से किसी भी योग्यता के साथ।" संशोधित विज्ञापन दिनांक 09.12.2021 के प्रकाशन के तुरंत बाद, सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 दायर की गई, लेकिन उसके बाद, आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 15.12.2021 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया और इस आदेश द्वारा, यह घोषित किया गया है कि उच्च अंक वाले उम्मीदवार उपरोक्त अधिसूचित योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले भी एम.वी.एस.आई. के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन कर सकेंगे। तुरंत, कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 को चुनौती देने के लिए सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी थी और इसलिए, संशोधित रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें कार्यालय आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। आरएसएसबी द्वारा जारी दिनांक 15.12.2021। त्वरित संदर्भ के लिए, दिनांक 15.12.2021 का विवादित कार्यालय आदेश यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फ़ोन-0141-2552796
क्रमांक: प.14(98)RSEB/अर्थना/परि.वि./मो.वा.उप.नि./भर्ती/2021/1467 दिनांक: 15-12-2021।

-कार्यालय आदेश:-

मोटर वाहन उप निरीक्षक की भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 24.11.2021 को विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम-1963 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्ग इस पद की शैक्षणिक योग्यता में यह प्रावधान है कि:-

1. स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी (तीन वर्षीय पाठ्यकम) में डिप्लोमा या यांत्रिक अभियांत्रिकी (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में ऐसी अर्हताएं, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इनके समतुल्य घोषित की गई हो।

<u>उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी मोटर</u>

वाहन उप निरिक्षक के पद के लिये आवेदन कर सकेगें।"

(जोर दिया गया)

3. 18.02.2022 को संशोधित रिट याचिका दायर करने के बाद, न्यायालय ने नोटिस जारी किया और दिनांक 21.03.2022 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक वाले और भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने रिट याचिका में अपनी पक्षकारिता की मांग के लिए आवेदन दायर किए। पक्षकार बनाने के उनके आवेदनों को दिनांक 18.04.2022 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। रिट याचिका के दौरान, न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत आर.एस.एस.बी. को निर्देश दिया कि वह इस मामले को नियम 1963 के नियम 36 के तहत कार्मिक विभाग (डी.ओ.पी.) को संदर्भित करे और इस बिंदु पर राय मांगे कि क्या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री वाले लोग 1963 के नियमों के तहत मोटर वाहन उप-निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और 03.08.2022 के उसी आदेश के तहत, न्यायालय ने कार्मिक विभाग को रिट याचिका में प्रत्यर्थी पक्ष के रूप में शामिल किया। इसके अनुपालन में, मुद्दा डी.ओ.पी. के समक्ष रखा गया और संयुक्त सचिव, डी.ओ.पी., राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से राय दी कि उच्च योग्य उम्मीदवारों को एम.वी.एस.आई. के पद पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र माना जाएगा। चूंकि पत्र दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से डी.ओ.पी. की राय याचिकाकर्तागण के खिलाफ जाती है, फिर से, एसबीसी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 में, डी.ओ.पी. के पत्र दिनांक 30.08.2022 को चुनौती देने के लिए संशोधन की प्रार्थना की गई थी। संशोधन की अनुमति दी गई और दूसरी संशोधित रिट याचिका 20.09.2022 को दायर की गई है। संशोधित रिट याचिका में मांगी गई राहतें यहां पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

> "इसलिए, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने और अनुमति देने और निम्नलिखित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करे:
>
> (i) प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 15.12.2021 के आदेश को इस हद

तक निरस्त करें कि तीन वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अवैध घोषित किया जा सकता है, और कहा गया है उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है;

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 15 द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.08.2022 को निरस्त करें।

(iii) प्रत्यर्थीगण को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की डिग्री को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर न मानने का निर्देश जारी करें और प्रत्यर्थीगण को इसके अनुसार पदों को भरने के लिए निर्देश जारी करें। कानून और मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीनवर्ष का डिप्लोमा रखने वाले याचिकाकर्तागण की उम्मीदवारी पर विचार करें और उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दें;

(iv) माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत भी याचिकाकर्तागण के पक्ष में पारित की जाए।"

4. एक तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन के अनुसार, परीक्षा में भाग लेने से पहले याचिकाकर्तागण द्वारा सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 दायर किया गया है, जिसमें कार्यालय आदेश दिनांक 15.12 को चुनौती दी गई है। आरएसएसबी द्वारा जारी 2021 और दिनांक 30.08.2022 को जारी पत्र भी कार्मिक विभाग और इस रिट याचिका में, परिवहन विभाग के अलावा प्रत्यर्थीगण की श्रृंखला में, आर.एस.एस.बी., कार्मिक विभाग और निजी प्रत्यर्थीगण, जो ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक हैं, को भी पक्षों के रूप में जोड़ा गया है। भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरण में याचिकाकर्तागण द्वारा अन्य रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण के पास ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता है और उनकी आम शिकायत यह है कि आर.एस.एस.बी. ने दिनांक 15.12.2021 को कार्यालय आदेश जारी करके ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को भाग लेने की अनुमति दी है। उच्च योग्य उम्मीदवारों को अनुमति देने

की, जो 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता नहीं है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। याचिकाकर्तागण के अनुसार, नियम 11 के तहत अपेक्षित योग्यता केवल 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, इसलिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता है और उन्हें एम.वी.एस.आई. के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। डिप्लोमा धारकों और इसके अलावा, कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद, भर्ती प्रक्रिया के बीच में, खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता है और इस प्रकार कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 के विरुद्ध है यह कानून 1963 के नियमों के नियम 11 का भी उल्लंघन है और मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए।

5. कुल मिलाकर, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले याचिकाकर्तागण का तर्क यह है:

(I) आर.एस.एस.बी. द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021, उच्च शिक्षा योग्यता वाले उम्मीदवारों को अनुमति देना 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता का उल्लंघन है क्योंकि जब राज्य सरकार ने इससे अधिक कोई उच्च शिक्षा निर्धारित नहीं की है 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आर.एस.एस.बी. के पास उच्च योग्यता निर्धारित करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिससे उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भाग लेने की अनुमति मिल सके।

(II) एम.वी.एस.आई. के लिए 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता आवश्यक और अपेक्षित योग्यता है, जो धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 मार्च, 2019 की अधिसूचना से स्पष्ट है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के 213(4) (इसके बाद संक्षिप्त रूप से "एमवी अधिनियम 1988") और नियम 11 के तहत ऐसी योग्यता को "न्यूनतम योग्यता" के रूप में गलत नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इसे "केवल योग्यता" के रूप में माना जाएगा।

(III) कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके वस्तुतः ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर माना गया है और इसलिए, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को एम.वी.एस.आई. की सीधी भर्ती प्रक्रिया की अनुमति दी गई है। यह याचिकाकर्तागण के साथ अन्याय है और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन है।

(IV) दिनांक 15.12.2021 का कार्यालय आदेश जारी करना वस्तुत: दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन के माध्यम से एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान है और इसलिए, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई है। बाद के आदेश के माध्यम से एम.वी.एस.आई. का पद अवैध और कानूनन अनुमति योग्य नहीं है।

(V) याचिकाकर्तागण ने कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 को निरस्त करने और प्रत्यर्थीगण को ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, केवल ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों से एम.वी.एस.आई. के विज्ञापित पदों को भरने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

6. प्रत्यर्थीगण ने एक समान स्वर में, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ देकर याचिकाकर्तागण की दलीलों को खारिज कर दिया है: -

(I) एम.वी.एस.आई. के पद के लिए सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य उच्च योग्य उम्मीदवारों को अनुमति देना, 1963 के संशोधित नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता के विपरीत नहीं है क्योंकि निर्धारित योग्यता नियम 11 के तहत "न्यूनतम योग्यता" है और इसके अलावा, राज्य तकनीकी बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता के अलावा, <u>"केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से कोई भी योग्यता"</u> है। नियम 11 के तहत भी निर्धारित है, इसलिए, राज्य सरकार को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी योग्यता वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने का अधिकार है।

(II) एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(4) केंद्र सरकार को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार देती है और इसलिए, केंद्र सरकार की 08 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित योग्यता को न्यूनतम योग्यता के रूप में समझा जाएगा। चूंकि एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(1) राज्य सरकार की ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति को सुरक्षित रखती है जैसा वह उचित समझे और 1963 के नियमों के संशोधित नियम 11 में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के बाद राज्य तकनीकी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से किसी एक में कोई अन्य योग्यता भी निर्धारित है, जिसे इन रिट याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए राज्य सरकार इसकी क्षमता और उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को उसी विषय में ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के समकक्ष मानने की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

(III) "समकक्ष योग्यता" की अवधारणा को "सटीक योग्यता" के रूप में नहीं समझा जा सकता है और एआईसीटीई द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने डिप्लोमा धारक को सीधे पार्श्व प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष, इसलिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम, स्पष्ट रूप से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की तुलना में उच्च योग्यता है, लेकिन इसमें पहले से ही डिप्लोमा की कम योग्यता प्राप्त करना शामिल है और इसलिए, इसे बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि समान योग्यता कम से कम समकक्ष योग्यता के रूप में है।

(IV) नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पात्रता और योग्यता का निर्णय करना नियोक्ता और भर्ती एजेंसी का काम है। वर्तमान मामले में, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों की तुलना में उच्च शिक्षा रखने वाले उम्मीदवारों को एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र बनाने की आर.एस.एस.बी. की कार्रवाई को डी.ओ.पी. के साथ-साथ राज्य की समकक्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए, न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा

की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियोक्ता और भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित पात्रता और योग्यता मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(V) वर्तमान सीधी भर्ती 2021 से पूर्व एम.वी.एस.आई. की पिछली भर्तियों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को एम.वी.एस.आई. पद पर सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी माना जाता था। उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 के तुरंत बाद कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी किया गया है। चूँकि कार्यालय आदेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से बहुत पहले, साथ ही 12.02.2022 को लिखित परीक्षा आयोजित करने से पहले जारी किया गया है, इसलिए, इसे खेल के नियमों में बदलाव नहीं माना जा सकता है।

(VI) समतुल्यता समिति/विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 में राय दी है कि समान विषय में डिप्लोमा धारकों की तुलना में उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य मानना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित है। तदनुसार, दिनांक 30.08.2022 के पत्र के साथ-साथ आर.एस.एस.बी. के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 के माध्यम से डी.ओ.पी. की राय को अमान्य या अवैध या 1963 के नियमों का उल्लंघन नहीं घोषित किया जा सकता है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की कथित प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय संयुक्त सचिव, डी.ओ.पी., राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.08.2022 के पत्र को पुनः प्रस्तुत करना उचित और उचित मानता है, जो सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022, में भी चुनौती के अधीन है। जो इस प्रकार हैः-

"राजस्थान सरकार कार्मिक

(क-2) विभाग

जयपुर दिनांक 30/08/2022

क्रमांक- प. 17(14) कार्मिक/क-2/21

सचिद,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,

जयपुर राज०।

विषय:- मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 36 के अन्तर्गत मार्गदर्शन प्रदान संबंध में।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक प. 14(98)RSSB/अर्थना/परि०वि०/म.वि.उप.नि. /भर्ती/2021/772/23.082022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में SBCWP NO. 382/2022 मनीष कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं SBCWP NO. 6161/2022 राहुल असवाल बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 के संदर्भ में मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 36 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें उच्च शिक्षा यांत्रिकी अभियांत्रिकी की डिग्री प्राप्त की है, क्या इस भर्ती हेतु आवेदन करने के पात्र है अथवा नहीं, के संबंध में कार्मिक विभाग का अभिमत निम्नानुसार है:-

राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत मोटर वाहन उप निरिक्षक पद की सीधी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है-

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए; और

2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) या राज्य तकनीकी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम)

नहीं तो

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से कोई भी योग्यता; और

3. एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव जो हल्के मोटर वाहनों, भारी माल वाहनों और पेट्रोल और डीजल इंजन से सुसज्जित भारी यात्री मोटर वाहनों दोनों की मरम्मत करता है; और

4. उसके पास मोटर साइकिल, भारी माल वाहन और भारी यात्री वाहन चलाने के लिए अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस अधिसूचना में शामिल कुछ भी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनके नाम मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जुलाई, 1989 के पहले दिन से पहले राज्य सरकार द्वारा चाहे किसी भी नाम से पुकारे गए हों, विचाराधीन थे। ऐसे पद पर 1 जुलाई, 1989 से पहले नियुक्त किया गया हो या किसी गैर-तकनीकी प्रकृति के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त अधिकारी।

<u>अत: मोटर वाहन उप निरिक्षक पद हेतु संबंधित ट्रेड में निर्धारित योग्यता से उच्च योग्यताधारी व्यक्ति को भी पद हेतु णत्र माना जायेगा।</u> कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.03.2018 द्वारा उक्त नियमों में विहित प्रावधानों में संशोधन कर मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के सभी पदों को (100 प्रतिशत) सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान विहित किया गया हैं।"

<u>(जोर दिया गया)</u>

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2022 को पत्र जारी होने के बाद, जब इस पत्र में राय याचिकाकर्तागण के खिलाफ गई, तो याचिकाकर्तागण द्वारा भरोसा रखा गया। डी.ओ.पी. द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.10.2021 पर कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता और

समकक्षता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, परिपत्र दिनांक 18.10.2021 के अनुसरण में गठित समकक्ष समिति मामले का निर्णय करेगी। इसलिए, याचिकाकर्तागण की प्रार्थना पर और डी.ओ.पी. के दिनांक 18.10.2021 के परिपत्र के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 20.09.2022 के आदेश के माध्यम से सचिव, डी.ओ.पी. को निर्देश दिया कि वह मामले को दिनांक 18.10. 2021 के परिपत्र के अनुसार गठित होने वाली समतुल्य समिति के समक्ष रखें। मूल विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 और कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुसार मोटर वाहन उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए इसके अनुपालन में, शैक्षिक योग्यता और समकक्षता का निर्णय करने के लिए 14.10.2022 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई और निम्नलिखित व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया:

(i). श्री कन्हैया लाल स्वामी, परिवहन आयुक्त

(ii). श्री महेंद्र कुमार खिंची, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

(iii). श्री सांवरमल, वित्तीय सलाहकार (परिवहन मुख्यालय)

(iv). श्री अरुण कुमार शर्मा, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

(v). श्री राजीव त्यागी, जिला परिवहन अधिकारी (तकनीकी विशेषज्ञ)

(vi). श्री यशपाल शर्मा, परिवहन निरीक्षक (तकनीकी विशेषज्ञ) समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 में राय दी है और निष्कर्ष निकाला है कि डिप्लोमा धारकों की तुलना में उच्च योग्यता प्राप्त डिग्री धारकों को सीधी भर्ती में भाग लेने से बाहर करना न तो तर्कसंगत है और न ही उचित है। एम.वी.एस.आई. पद के लिए. विशेषज्ञ और समतुल्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 को राज्य के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.10.2022 के अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है, जो इस प्रकार है:

राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(95) परि/रथा/2013/94690

जयपुर, दिनांक 14.10.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

र्मिक (क-2/वादकरण) विभाग के दूओ नोट में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 382/2022 मनीष कुमार आलोरिया और अन्य बनाम राज्य व अन्य के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 14.10.2022 को अपरान्ह 4.30 बजे शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक समकक्षता समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री कन्हैया लाल स्वामी, परिवहन आयुक्त
2. श्री महेन्द्र कुमार खींची, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
3. श्री सांवरमल, वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय
4. श्री अरुण कुमार शर्मा, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)
5. श्री राजीव त्यागी, जिला परिवहन अधिकारी (तकनीकी विशेषज्ञ)
6. श्री यशपाल शर्मा, परिवहन निरीक्षक (तकनीकी विशेषज्ञ)

- बैठक में मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के अन्तर्गत शैक्षणिक योग्यता के संबंध में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में उपस्थित विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 2021 के लिए विज्ञप्ति क्रमांक 06/2021 दिनांक 24.11.2021 को जारी की गई थी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है:-

    1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवी परीक्षा उत्तीर्ण
    2. तीन वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता।

- तदनन्तर दिनांक 15.12.2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करके "**उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।**"

- प्रश्नगत याचिका में पक्षकार अभ्यर्थियों द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2019 का उल्लेख करते हुए मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल डिग्रीधारक को पात्र मानने पर उक्त अधिसूचना का उल्लंघन किया जाना बताया है। जबकि तथ्य यह है कि उक्त अधिसूचना केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करती है।

- उक्त अधिसूचना राज्य सरकार को मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से उचस्तर योग्यता निर्धारि करने से प्रतिबंधित नहीं करती है। इसी परिपेक्ष्य में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, जो की उचित है।

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी शैक्षणिक योग्यता का विचार करते समय न्यूनतम का ही निर्धारण किया ताम रहा है। किसी भी पद के लिए अर्हता के न्यूनतम मापदण्ड ही निर्धरित किया जाना उचित है। निर्धारित से उच्चतर योग्यता धारक अभ्यर्थियों को अपात्र मानना न तो तर्कसंगत है और न ही न्याय संगत ।

- जहा तक मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न है, पूर्व की भर्ती परिक्षाओं में भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को न्यूनतम मानते हुए उच्चतर योग्यता धारक अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता रहा है।

***अतः प्रस्तुत प्रकरण में समग्रतापूर्वक सभी पक्षों पर विचार-विमर्श के***

*उपरान्त समिति का निष्कर्ष है कि मोटर वाहन उप निरीक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र क्रमांक प.17(14) कार्मिक/क-2/21 दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्रदत्त अभिमत समुचित है।*

9. विशेषज्ञ/समतुल्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022, जैसा कि ऊपर दिया गया है, राज्य द्वारा अतिरिक्त शपथ-पत्र दिनांक 19.10.2022 के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई थी, जिसे एसबीसी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 में याचिकाकर्तागण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, और एक याचिकाकर्ता मनीष कुमार अलोरिया ने अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत कर समतुल्यता समिति की रिपोर्ट को मनमाना, भेदभावपूर्ण और वैधानिक नियमों से परे बताया है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वास्तव में समकक्ष समिति की रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर योग्यता है और ऐसी रिपोर्ट सिर्फ एक दिखावा है जो इस पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। क्लिनिंग मुद्दा और इस तरह खारिज किए जाने योग्य है।

10. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन से, यह प्रश्न विचाराधीन है और इस न्यायालय द्वारा इसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है, कि "क्या आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 15.12.2021 को आक्षेपित कार्यालय आदेश जारी करके, दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन के माध्यम से एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को इस पद के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई है। एम.वी.एस.आई., इस तरह की कार्रवाई आर.एस.एस.बी. की ओर से मनमानी, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है, साथ ही 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता के खिलाफ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन है?

11. यहां ऊपर उल्लिखित प्रश्न पर निर्णय देने और उत्तर देने के लिए, यह न्यायालय निम्नलिखित मुद्दों को तैयार करना उचित समझता है: -

(I) क्या ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 में निर्धारित योग्यता और कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करने के अलावा वर्तमान सीधी भर्ती में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है 2021 आर.एस.एस.बी. द्वारा विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 के बाद, एम.वी.एस.आई. के पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता को जोड़ने के उद्देश्य से, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के अलावा अन्य को नियम-1963 के नियमों का 11, अनुसूची के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप माना जा सकता है।

(II) यदि मुद्दा संख्या (I) का उत्तर याचिकाकर्तागण के पक्ष में दिया गया है, तो वर्तमान विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है, जब दिनांक 15.12.2021 के लागू आक्षेपित कार्यालय आदेश को डी.ओ.पी. ने पत्र दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से सहमति दे दी है और डी.ओ.पी. के निर्णय की समतुल्यता समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से पुष्टि की है और क्या न्यायिक समीक्षा के दायरे में, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को पद के लिए भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई है। क्या एम.वी.एस.आई. को मनमाना, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जा सकता है?

12. ये मुद्दे नए नहीं हैं और पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा असंख्य और विविध संदर्भों में निर्णयों की श्रृंखला में विचार किया गया है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा ढेर सारे निर्णयों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक निर्णय पर वास्तविक अनुपात निर्णय के आलोक में विचार और चर्चा की जाएगी, निर्णय के बाद के भाग में उचित स्थान पर, जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो, चर्चा की जाएगी। इस समय, अनुपात निर्णय और घूर्णी निर्णय के सिद्धांतों को समझने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के दो प्रसिद्ध निर्णयों का संदर्भ उपयुक्त होगा।

**कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ [(1990) 4 एससीसी 207],** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि मामले के सभी तथ्यों और कानून के पहले से मौजूद नियम सहित प्रमुख आधार को शामिल करने वाली तर्क प्रक्रिया का विश्लेषण करके अनुपात

निर्णय का पता लगाया जाना चाहिए। वैधानिक या न्यायाधीश-निर्मित, और तत्काल विचाराधीन मामले के भौतिक तथ्यों से युक्त एक छोटा आधार। यह बताया गया है कि कारण या सिद्धांत का प्रतिपादन, जिस पर न्यायालय के समक्ष प्रश्न का निर्णय लिया गया है, एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है:

> "अकेले ठोस निर्णय इसके पक्षकारों के बीच बाध्यकारी होता है, लेकिन यह अमूर्त अनुपात निर्णय है, जैसा कि निर्णय के विषय के संबंध में निर्णय के विचार पर सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें अकेले कानून का बल होता है और जब यह होता है स्पष्ट है कि यह किसी न्यायाधिकरण के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है कि वह किसी अनुपात निर्णय को कठिनाई के साथ स्पष्ट कर सके, और एक लंबे निर्णय में से एक या दो टिप्पणियों को लेना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि उन्होंने अनुपात निर्णय दिया हो, हमेशा खतरनाक होता है। यदि किसी न्यायाधिकरण द्वारा अपने निर्णय के लिए एक से अधिक कारण दिए जाते हैं, तो सभी को अनुपात निर्णायक के रूप में लिया जाता है।"

घूरने के निर्णय के सिद्धांत को मिसाल का पालन करने और तय की गई चीजों को अस्थिर न करने के लिए समझाया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अलावा, न्यायालयों की नीति मिसाल पर कायम रहना और तय बिंदु को परेशान नहीं करना है। जब न्यायालय ने एक बार तथ्यों की निश्चित स्थिति पर लागू होने वाला कानून का एक सिद्धांत निर्धारित कर दिया है, तो वह उस सिद्धांत का पालन करेगा, और इसे भविष्य के सभी मामलों पर लागू करेगा जहां तथ्य काफी हद तक समान हैं।

**भारत संघ बनाम धनवंती देवी [(1996) 6 एससीसी 44],** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्णय का सार उसका अनुपात है, न कि उसमें प्रत्येक अवलोकन उस क्रम में पाया जाता है जो निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। प्रत्येक निर्णय को साबित किए गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या साबित माना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पाए जाने वाले अभिव्यक्तियों की व्यापकता का उद्देश्य पूरे कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य होना है।

इसलिए, किसी निर्णय की बाध्यकारी शक्ति को समझने और उसकी सराहना करने के लिए, यह देखना हमेशा आवश्यक होता है कि जिस मामले में निर्णय दिया गया था उसमें तथ्य क्या थे और वह बिंदु क्या था जिस पर निर्णय लेना था। किसी भी निर्णय को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता जैसे कि वह क़ानून हो। निर्णय में एक शब्द या एक खंड या एक वाक्य को कानून की पूर्ण व्याख्या नहीं माना जा सकता है। कानून को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, न्यायाधीशों को उदाहरणों के उपयोग में एक बुद्धिमान तकनीक का उपयोग करना होगा।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि विज्ञापन संख्या 06/2021 दिनांक 24.11.2021 और शुद्धिपत्र विज्ञापन दिनांक 09.12.2021 के अनुसार तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस हद तक विवादित नहीं है। एम.वी.एस.आई. के 197 रिक्त पदों को भरने के लिए निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत उल्लिखित अनुरूप और समान हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1963 के नियम राजस्थान के राज्यपाल द्वारा बनाए गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और नियमों में वैधानिक बल है। 1963 के नियमों के तहत, एम.वी.एस.आई. का पद एक एन्कैडरड पद है, जो नियमों से जुड़ी अनुसूची-I में क्रम संख्या 2 पर दर्शाया गया है। नियम 11 के तहत एम.वी.एस.आई. पद के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता निर्धारित है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि पहले 25% पद पदोन्नति से और 75% पद सीधी भर्ती से भरने की आवश्यकता होती थी, लेकिन डी.ओ.पी., राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 जारी करने के बाद एम.वी.एस.आई. के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना आवश्यक है। 1963 के नियमों की अनुसूची-I में, एम.वी.एस.आई. पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित हैं: -

| अनुसूची | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पद नाम | भर्ती का स्रोत और प्रतिशत | सीधी भर्ती के लिए योग्यता | जिस पद से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है | पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव और योग्यता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| मोटर वाहन निरीक्षक | 100% पदोन्नति द्वारा | | मोटर वाहन उप-निरीक्षक | कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव |
| मोटर वाहन उप-निरीक्षक | पदोन्नति से 25% और सीधी भर्ती से 75% | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; और | परिवहन विभाग के लोअर डिवीजन क्लर्क | ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र रखने वाले एलडीसी की पुष्टि की। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या जिन्होंने राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है |
| | **विलोपित** | ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल | **विलोपित** | **विलोपित** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एग्जामिनेशन (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) द्वारा प्रदान किया जाता है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से किसी एक में कोई योग्यता: और ..... | | |
| | 100% सीधी भर्ती द्वारा | | | |

नोट- डी.ओ.पी. के पत्र दिनांक 30.08.2022 में दर्शाया गया है कि दिनांक 08.03.2018 की अधिसूचना के माध्यम से 1963 के नियमों में संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती 75 के बजाय 100% है %. इस प्रकार, परिणामस्वरूप, कॉलम संख्या 2, 4 और 5 को तदनुसार संशोधित/हटा दिया गया है।

14. यह देखा गया है कि 1988 के एमवी अधिनियम के लागू होने से पहले, अकेले राज्य सरकार को एम.वी.एस.आई. के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार था, हालांकि, 1988 के एमवी अधिनियम के लागू होने के बाद, योग्यता निर्धारित करने की शक्ति एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(4) के तहत इसे केंद्र सरकार को भी सौंपा गया है। एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213 मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 213 की उपधारा (1) में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, एक मोटर वाहन विभाग की स्थापना कर सकती है और उसके अधिकारियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। धारा 213 की उपधारा (2) में परिकल्पना की गई है

कि ऐसे प्रत्येक अधिकारी को लोक सेवक माना जाएगा। धारा 213 की उपधारा (3) में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के कार्यों के निर्वहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। धारा 213 की उप-धारा (4) केंद्र सरकार की शक्तियों को निर्धारित करती है कि "केंद्र सरकार, अधिनियम की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर सकती है, जो उक्त अधिकारियों या उसके किसी भी वर्ग के लिए है।" इस रूप में नियुक्त होने का अधिकार होगा। धारा 213 की उपधारा 5 और 6 मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों की परिकल्पना करती हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को मोटर वाहन विभाग में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है, वहीं राज्य सरकार भी अधिकृत है और विभाग में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां रखती है। यह उचित लगता है. इस प्रकार, राज्य सरकार को 1963 के वैधानिक नियमों के तहत एम.वी.एस.आई. की नियुक्ति के संबंध में योग्यता निर्धारित करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन 1988 के एमवी अधिनियम की घोषणा के बाद राज्य सरकार की शक्तियों पर एकमात्र बाधा यह है कि राज्य सरकार एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती है। यहां यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी मामले में, राज्य सरकार ने निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता निर्धारित की है। केंद्र सरकार, यह केंद्रीय कानून के प्रतिकूल होगी और इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(1) के आधार पर शून्य और असंवैधानिक होगी।

15. केंद्र सरकार ने, एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 213(4) के तहत मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12.06.1989 को एक अधिसूचना जारी की, जो राजपत्र में विधिवत प्रकाशित हुई और लागू हुई। दिनांक 01.07.2019 से 01.07.1989. इसके बाद, अधिसूचना दिनांक 12.06.1989 को अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 द्वारा संशोधित किया गया है और क्रमांक 1 से 4 के लिए "योग्यता" शीर्षक के तहत और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया है। त्वरित संदर्भ के लिए, दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना,

जिस पर याचिकाकर्तागण ने व्यापक भरोसा जताया है, यहां दी जा रही है:

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 8 मार्च 2019**

**एस.ओ. 1215(ई).**-उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 के अनुसार, केंद्र सरकार इसके द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या में निम्नलिखित संशोधन करती है: इसलिए। 443(ई), दिनांक 12 जून, 1989, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 'योग्यता' शीर्षक के तहत, क्रम संख्या 1 से 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)। या

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम),

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा सम्मानित; और

(iii) गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।"

[एफ. संख्या आरटी-11036/62/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त। सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में एस.ओ. के तहत प्रकाशित की गई थी। 443(ई), दिनांक 12 जून, 1989।"

16. राज्य सरकार ने दिनांक 03.04.1992 को अधिसूचना जारी करके पहले निर्धारित योग्यता को संशोधित किया है और जिसे अधिसूचना दिनांक 20.08.1993 के माध्यम से और संशोधित किया गया था और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा एम.वी.एस.आई. पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता जो लागू हैं , 1963 के नियमों के नियम 11 की अनुसूची-I को पुनः प्रस्तुत करते समय, पहले ही पैरा -13 में यहां निकाला जा चुका है।

17. चूंकि, इन रिट याचिकाओं में, विवाद उच्च शिक्षा से लेकर ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तक सीमित है, इसलिए, यह न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 द्वारा निर्धारित योग्यता और अधिसूचना के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संशोधित 1963 के नियमों की अनुसूची-1, नियम 11 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता और एकमात्र अंतर निम्नानुसार देखा जा सकता है:

> "ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) या राज्य तकनीकी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम)
>
> नहीं तो
>
> केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से किसी में भी कोई योग्यता; और"
>
> अतः यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताएँ जोड़ी हैं:-
>
> "केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उपरोक्त विषयों में से कोई भी योग्यता"

**<u>अंक संख्या (I):-</u>**

18. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि एम.वी.एस.आई. के पद के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के 3वर्ष के पाठ्यक्रम की योग्यता आवश्यक है और डिग्री के अलावा कोई अन्य योग्यता या डिग्री जैसी कोई उच्च योग्यता है। ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक

08.03.2019 की अधिसूचना के तहत निर्धारित योग्यता से परे है और इसे 1963 के नियमों के नियम 11 के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, उनकी प्रार्थना है कि उम्मीदवारों को अनुमति दी जाए। एम.वी.एस.आई. के पद के लिए सीधी भर्ती-2021 में भाग लेने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके अनुमति देने की आड़ में, डिग्री मनमाना और अवैध है और इसलिए, धारकों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से बाहर रखा जाएगा जो दिनांक 24.11.2021 को विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू की गई थी।

19. इसके विपरीत, राज्य, आर.एस.एस.बी. के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थीगण अर्थात डिग्री धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की तुलना में उच्च शैक्षणिक योग्यता होने के कारण, निर्धारित शर्तों को पूर्व मानती है। केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 में उल्लिखित योग्यता और आगे 1963 के नियमों के नियम 11 की अनुसूची -1 में, राज्य सरकार ने निर्धारित किया है कि "या उपरोक्त विषयों में से किसी एक में कोई भी योग्यता केंद्र सरकार द्वारा समकक्ष घोषित की गई है" या राज्य सरकार", इसलिए, डिग्री को कम से कम राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि डिग्री ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समान अनुशासन में है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण के अनुसार, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च योग्यता, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व मानती है, और राज्य सरकार और आर.एस.एस.बी. उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता होनी चाहिए। पिछले वर्षों की भर्ती में, डिग्री धारकों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी, इसलिए आर.एस.एस.बी. द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके केवल यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि डिप्लोमा के समान विषय में उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए

आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार, यह न तो दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के लिए अपमानजनक है और न ही 1963 के नियमों के नियम 11 की अनुसूची-I के तहत निर्धारित योग्यता के विपरीत या अधिक माना जा सकता है।

20. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, क्योंकि आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 15.12.2021 को कार्यालय आदेश जारी करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, और राज्य ने आदेश का समर्थन किया है, इसलिए, कार्रवाई को उचित ठहराने का बोझ प्रत्यर्थीगण पर है आर.एस.एस.बी. का. इसलिए प्राथमिकता के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने रुख का समर्थन करने के लिए संदर्भित और भरोसा किए गए निर्णयों पर विचार और चर्चा करना उचित होगा।

21. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से और व्यापक रूप से **एस. सत्यपाल रेड्डी बनाम एपी सरकार [(1994) 4 एससीसी 391]** के मामले में प्रतिपादित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया है। और घूर्णी निर्णय के सिद्धांत के बल पर यह तर्क दिया जाएगा कि क्या राज्य सरकार समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता के लिए निर्धारित अधिसूचना पर विचार करते हुए पात्रता योग्यता निर्धारित कर सकती है। 1988 के एमवी अधिनियम की धारा 213(4) के तहत केंद्र सरकार, अब एकीकृत नहीं है। उस मामले में, जिन उम्मीदवारों के पास केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता थी और जिन्होंने आंध्र प्रदेश परिवहन अधीनस्थ सेवाओं में सहायक मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्होंने ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता पर प्रश्न उठाया था। भर्ती के लिए शर्तों के रूप में ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी समकक्ष योग्यता में और तर्क दिया कि यह केंद्र सरकार थी जिसे 1988 के एमवी अधिनियम की धारा 213 (4) के तहत शक्तियां प्रदान की गई थीं जो 1988 के एमवी अधिनियम के तहत अधिकारी अधिकारियों या वर्ग के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती थीं। आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। प्रश्न यह उठा कि क्या एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(1) की शक्तियों के

तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता, एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213(4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और पाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता को स्वीकार कर सकती है या उच्च योग्यता भी निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी मामले में केंद्र द्वारा निर्धारित योग्यता से कम योग्यता निर्धारित नहीं करती है। एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213 की उपधारा (4) के तहत राज्य सरकार द्वारा कम योग्यता निर्धारित करना, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के साथ मिलीभगत होगी क्योंकि यह टिकाऊ नहीं होगा।उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब केंद्र सरकार द्वारा धारा 213(4) के तहत बनाए गए नियम और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाता है, तो दोनों नियमों के संचालन में कोई असंगतता या विसंगति नहीं है। एमवी अधिनियम 1988 की धारा 213 की उपधारा (4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के पदों या अधिकारियों के वर्ग पर पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ नं। निर्णय के 5, 6, 7 और 8 को यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> “5. संबंधित तर्कों पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि राज्य का तर्क स्वीकार किए जाने योग्य है। ऐसा देखा गया है कि धारा 213 में "मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति" के लिए सीमांत नोट अनुभाग की विषय-वस्तु को इंगित करता है। उपधारा (1) कहती है कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, मोटर वाहन विभाग की स्थापना कर सकती है और "उसके अधिकारियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे"। नियुक्ति की शक्ति में एक योग्य और सक्षम व्यक्ति का चयन करने की शक्ति शामिल है जिसे वह पद संभालने के लिए उपयुक्त समझता है और अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेगा। इसमें उपयुक्त अधिकारियों का चयन करने के लिए योग्यता निर्धारित करने की शक्ति शामिल है। संसद ने धारा 213(1) के

तहत राज्य सरकार को उस शक्ति को संरक्षित रखा, जिससे वह उन अधिकारियों को नियुक्त कर सके जिन्हें वह अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त मानती है। उप-धारा (4) केंद्र सरकार को, अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा "न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने" की शक्ति देती है, जो अधिकारियों या उनके अधिकारियों के वर्ग के पास नियुक्त होने के लिए होनी चाहिए। अधिकारी या राज्य सरकार से संबंधित कैडर के लिए। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 41 के तहत, सार्वजनिक सेवा में उपधारा के तहत नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की सेवाएं शामिल हैं।(1) अधिनियम की धारा 213 इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अधिनियम को उच्चतम ता प्राप्त है, क्योंकि प्रविष्टि 35 के तहत, अधिनियम के तहत विषय समवर्ती क्षेत्र को कवर करता है। धारा 213 की उप-धारा (4) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम योग्यता" से अधिक योग्यता निर्धारित करने की शक्ति को भी संरक्षित करती है, "उक्त अधिकारी या उसके किसी भी वर्ग के पास इस तरह नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए"।

6. भारत संघ बनाम एच.एस. में ढिल्लों [(1971) 2 एससीसी 779] संविधान के अनुच्छेद 246 के दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रकार कहा:

> "आठवीं अनुसूची में तीन सूचियों के साथ अनुच्छेद 246 को पढ़ने से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद के पास सूची I में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है और अनुच्छेद के खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद भी। 246. राज्य विधानमंडलों के पास सूची II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं, लेकिन यह अनुच्छेद 246 के खंड (1) और (2) के अधीन है। इस अधीनता

का उद्देश्य संसदीय कानून बनाना है सूची I और III के मामले सर्वोपरि हैं। अनुच्छेद 246 के खंड (4) के तहत संसद राज्य में शामिल नहीं किए गए भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल मामले पर कानून बनाने के लिए भी सक्षम है। अनुच्छेद 248 केंद्रीय संसद के लिए कानून की अवशिष्ट शक्तियां देता है।"

7. इस प्रकार यह स्थापित कानून है कि संसद के पास सूची I में शामिल किसी भी मामले या सूची में राज्य विधानमंडल के साथ समवर्ती शक्ति के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संविधान की सातवीं अनुसूची का III, जो सूची 111 में किसी भी प्रविष्टि पर शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए राज्य कानून पर लागू होगा। यदि उक्त कानून उस सीमा तक उसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए असंगत या असंगत है राज्य का कानून अतिक्रमित हो जाता है या शून्य हो जाता है। यह स्थापित कानून है कि जब संसद और विधानमंडल को अनुच्छेद 246(2) के तहत वह शक्ति प्राप्त होती है और समवर्ती सूची में प्रवेश, चाहे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में हो, अनुच्छेद 246(2) कानून बनाने की शक्ति देता है। समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर, संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर उच्चतम ता प्राप्त होती है, जब तक कि राज्य कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित न हो और उनकी सहमति प्राप्त न हो। क्या केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच एक स्पष्ट प्रतिकूलता या टकराव है जो एक ही क्षेत्र में हैं और प्रत्येक मामले में सामंजस्यपूर्ण रूप से काम नहीं कर सकते हैं, न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में समान क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और क्या दोनों कानूनों के बीच विरोधाभास मौजूद है। अनुच्छेद 254 "उस मामले के संबंध में" शब्दों पर जोर देता है। घृणा तब उत्पन्न होती है जब दोनों

कानून पूरी तरह से असंगत होते हैं या बिल्कुल असंगत होते हैं और जब दूसरे की अवज्ञा किए बिना एक का पालन करना असंभव होता है। प्रतिकूलता तब उत्पन्न होगी जब एक ही क्षेत्र को कवर करने वाले दोनों क़ानून तथ्यों के दिए गए सेट पर लागू किए जाने पर परस्पर विरोधी परिणाम उत्पन्न होंगे। लेकिन न्यायालय को स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी कानूनों के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और न्यायालय सामंजस्यपूर्ण निर्माण देने का प्रयास करेगा। असंगतता का निर्धारण करने का उद्देश्य संसद की मंशा का पता लगाना है जिसे कानून द्वारा व्याप्त संपूर्ण क्षेत्र पर विचार करके एकत्र किया जाएगा। उचित परीक्षण तो यह होगा कि क्या दोनों कानूनों के प्रावधानों पर प्रभाव डाला जा सकता है या क्या दोनों कानून एक साथ खड़े रह सकते हैं। धारा 213 में ही अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में अंतर किया गया है। राज्य सरकार ही अपने अधिकारियों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों का संचालन करती है। इसलिए, धारा 213 की उपधारा (1) राज्य सरकार को परिवहन विभाग बनाने और अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति देती है, जैसा वह उचित समझे। इसकी उपधारा (4) भी शक्ति को सुरक्षित रखती है। आवश्यक निहितार्थ से, यह मोटर वाहन विभाग में राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यता निर्धारित करने की शक्ति भी सुरक्षित रखता है। केंद्र सरकार द्वारा जो किया गया वह केवल न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना था, संबंधित राज्य सरकार के लिए यह खुला छोड़ दिया गया कि यदि वह आवश्यक समझती है, तो उच्च योग्यता निर्धारित कर सकती है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भर्ती को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है जिसमें राज्य के तहत किसी कार्यालय या पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित

करना शामिल है। चूँकि अधिनियम के तहत परिवहन विभाग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और उन पदों पर नियुक्त अधिकारी राज्य सेवा के होते हैं, अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, राज्य सरकार एक आवश्यक सहायक के रूप में भर्ती के लिए योग्यता या सेवा की शर्तें निर्धारित करने की पात्र है। लेकिन ऐसा निर्धारित करते समय, राज्य सरकार योग्यताएं स्वीकार कर सकती है या उच्च योग्यता निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी मामले में अधिनियम की धारा 213 की उप-धारा (4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता से कम योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती है। बाद की स्थिति में, अर्थात कम योग्यताएं निर्धारित करने पर, दोनों नियम एक-दूसरे से टकराए बिना काम नहीं कर सकते। जब केंद्र सरकार द्वारा धारा 213(4) के तहत बनाए गए नियम और संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाता है, तो योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए दोनों नियमों के संचालन में कोई असंगतता या विसंगति नहीं है। अधिनियम की धारा 213 की उपधारा (4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं की तुलना में राज्य सरकार के अधिकारियों के पद या वर्ग।

8. यह देखा गया है कि ए.पी. परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए हैं और इसके नियम 6 में ऊपर बताई गई योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यताओं में से एक है। चूँकि धारा 213(4) अधिनियम की धारा 217 के संचालन द्वारा राज्य सरकार को ऐसी शक्ति देती है, वैधानिक नियम वैध रहते हैं और केंद्रीय नियमों से टकराए बिना क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों नियम सामंजस्यपूर्ण ढंग से चलेंगे और दोनों नियमों को प्रभाव दिया जा सकेगा। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत असंगतता या प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं

उठता। इसलिए, हम यह नहीं पाते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा शक्ति के प्रयोग में कोई विरोधाभास है या अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संचालन में असंगतता है। अधिनियम की धारा 213(4) के तहत। राज्य के नियमों के अनुसार भर्ती वैध और विधिक है।"

पूरे निर्णय और अनुपात निर्णय को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय ने नोट किया है कि एस **सत्यपाल रेड्डी (सुप्रा.)** के मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य ने स्वयं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री को सक्षम और पात्रता के रूप में निर्धारित किया था। आंध्र प्रदेश में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने और उस संदर्भ में, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों की तुलना में अतिरिक्त या उच्च योग्यता निर्धारित करने की राज्य सरकार की शक्तियों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय. लेकिन मौजूदा मामले में, राजस्थान सरकार ने ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता के साथ एम.वी.एस.आई. के पद के लिए योग्य योग्यता के रूप में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता निर्धारित नहीं की है। वास्तव में, यह केवल आरएसएसबी, भर्ती एजेंसी है, जिसने कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके, निर्धारित योग्यताओं के अलावा ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से अधिक उच्च शिक्षा की योग्यता शामिल की है। विज्ञापन दिनांक 24.11.2021. और जब आर.एस.एस.बी. की कार्रवाई को चुनौती दी गई, तो रिट याचिकाओं के जवाब में, राजस्थान राज्य ने कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 का समर्थन किया है।

डी.ओ.पी. ने रिट याचिका के दौरान दिनांक 30.08.2022 को पत्र जारी किया है और समतुल्यता समिति ने दिनांक 20.09.2022 के आदेश के तहत इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 14.10.2022 को अपनी रिपोर्ट दी है। इस प्रकार राज्य सरकार, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, ने पात्र योग्यता के रूप में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता निर्धारित नहीं की, न तो दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में और न ही 1963 के नियमों में। डी.ओ.पी. का पत्र दिनांक 30.08.2022 को

जारी किया गया। और चयन प्रक्रिया के बीच में, रिट याचिका के दौरान। इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता, यदि राज्य सरकार ने स्वयं ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ-साथ ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता को उच्च योग्यता के रूप में निर्धारित किया होता, या तो विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 में ही, भर्ती प्रक्रिया शुरू करते समय या वैधानिक नियमों में, अलग से अधिसूचना पारित करके।

इसलिए, दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन या राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी अधिसूचना में ऐसी किसी निर्धारित पात्रता के अभाव में, एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च योग्यता को पात्र बनाया जाएगा। वर्तमान भर्ती-2021, **एस सत्यपाल रेड्डी (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं है।

22. ज्योति **के.के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग [(2010) 15 एससीसी 596],** के मामले में जिसकी चर्चा बाद के कई निर्णयों में की गई है, अपीलार्थीगण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री धारक थे, उन्हें आयोग द्वारा पात्र नहीं माना गया था। सब-इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए उन्होंने केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1956 के नियम 10 (ए) (ii) पर भरोसा करते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया:

> "9. <u>यह निस्संदेह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब प्रासंगिक नियमों के तहत एक योग्यता निर्धारित की गई है, तो उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और एक अलग योग्यता नहीं अपनाई जा सकती है।</u> उच्च न्यायालय का यह कहना भी न्यायसंगत है कि उच्च योग्यता को स्पष्ट रूप से उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को इंगित करना चाहिए या नियम के उस हिस्से को आकर्षित करने के लिए माना जाना चाहिए ताकि उन उच्च योग्यताओं में से ऐसी उच्च योग्यता प्राप्त हो सके। पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताएँ भी पद के लिए पर्याप्त होंगी। यदि किसी व्यक्ति ने उसी संकाय में उच्च योग्यता प्राप्त की है, तो ऐसी योग्यता को निश्चित रूप से पद के

> लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण के रूप में माना जा सकता है। इस मामले में दूर तक तलाश करना जरूरी नहीं होगा। संबंधित नियमों के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए केरल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है. किसी उच्च पद के लिए जब सीधी भर्ती करनी होती है, तो जो योग्यता प्राप्त करनी होती है, वह स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि ऐसी योग्यता निश्चित रूप से निचले पद, अर्थात् उप-अभियंता के पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता के लिए पद के लिए निर्धारित उस विषय में डिप्लोमा की निचली योग्यता का अधिग्रहण उस पद के लिए पर्याप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना है कि केवल डिप्लोमा धारकों को उप-अभियंताओं के पद के लिए आवेदन करना चाहिए, लेकिन उच्च योग्यता रखने वाले सभी लोगों को नहीं, या तो इस नियम के तहत उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा जाना चाहिए या पद से हटा दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डिग्री धारक ऐसे पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
>
> (जोर दिया गया)

**ज्योति के.के. (सुप्रा.),** के मामले में दिए गए निर्णय में केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1956 के नियम 10(ए) (ii) में विशेष रूप से प्रावधान है कि उच्च योग्यता का खंड पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के खंड को पहले से मान लेगा। जबकि वर्तमान मामले में, माना जाता है कि ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए ऑटोमोबाइल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की निम्न योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, हालांकि ये समान विषयों में हैं। बल्कि ज्योति के.के. का अनुपात निर्णायक है। (सुप्रा.) यह है कि जब कोई योग्यता प्रासंगिक नियमों के तहत निर्धारित की गई है, तो उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और एक अलग योग्यता नहीं अपनाई जा सकती है। उच्च

योग्यता को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए या नियम के उस हिस्से को आकर्षित करने के लिए उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व-कल्पित करना चाहिए ताकि उन उच्च योग्यताओं में से ऐसी उच्च योग्यता जो पूर्व-निर्धारित हो सके के लिए निर्धारित निम्न योग्यता का अधिग्रहण हो। पद भी पद के लिए पर्याप्त होगा.

23. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **परवेज अहमद पैरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(2015) 17 एससीसी 709],** के मामले के निर्णय पर भरोसा जताया उस मामले में, जम्मू-कश्मीर वन रेंज अधिकारी ग्रेड- I के पद के लिए निर्धारित योग्यता भारतीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से बीएससी (वानिकी) या इसके समकक्ष थी। कृषि अनुसंधान और चूंकि उक्त मामले में अपीलार्थीगण के पास प्रमुख विषयों में से एक के रूप में वानिकी के साथ बीएससी और वानिकी में स्नातकोत्तर अर्थात एमएससी (वानिकी) की योग्यता थी, तो उस स्थिति में, उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को आवश्यक योग्यता रखने के लिए रखा गया था पद के लिए आवेदन करने के लिए. इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि यदि विज्ञापन में निर्धारित योग्यता में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता देखी गई थी, तो इसे विज्ञापन में संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

इस न्यायालय की राय है कि **परवेज़ अहमद पैरी (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का अनुपात वर्तमान मामले में कोई प्रयोज्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में, बी.टेक इंजीनियरिंग की डिग्री की मांग की गई है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समान अनुशासन में है, लेकिन भारत में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में बी.टेक दो अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं। डिप्लोमा धारकों के मामले में, तीनवर्ष का अल्पकालिक पाठ्यक्रम, ध्यान और तनाव व्यापक व्यावहारिक ज्ञान पर होता है, जबकि डिग्री धारकों के मामले में, प्रमुख जोर शिक्षाविदों पर होता है, इस प्रकार दोनों अलग-अलग स्थितियों को पूरा करते हैं।

24. आर.एस.एस.बी. के विद्वान अधिवक्ता ने एस. गुरमीत सिंह बनाम राज्य एवं अन्य. [(2008) 1 जेकेजे 68] के मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है। 13 दिसंबर 2007 को दिया गया, जहां उच्च न्यायालय के समक्ष

यह प्रश्न विचार के लिए आया कि क्या याचिकाकर्तागण के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री उन्हें पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाती है। मोटर वाहन निरीक्षकों के संबंध में विज्ञापन, जिसमें न्यूनतम योग्यता के रूप में केवल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। जैसा तर्क इस न्यायालय के समक्ष दिया गया है वैसा ही तर्क जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के समक्ष भी दिया गया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विभिन्न अधिसूचनाएँ जारी की हैं, जो दर्शाती हैं कि परिषद इंजीनियरिंग में डिग्री को उच्च योग्यता मानती रही है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और यह ठीक इसी कारण से था कि इसने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उन उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में पार्श्व प्रवेश के लिए पात्र माना था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए बनाए गए विभिन्न वैधानिक नियमों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इंजीनियरिंग में डिग्री इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता है। तत्पश्चात, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, जहां विज्ञापन में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था और शुद्धिपत्र अधिसूचना के माध्यम से, डिग्री (बी.ई.) रखने वाले उम्मीदवारों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए गए थे। , इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। कोर्ट ने डिग्री धारकों को मोटर वाहन निरीक्षकों के पद के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य मानने की बोर्ड की कार्रवाई को कानून की दृष्टि से खराब करार दिया।

जहां तक वर्तमान मामले का प्रश्न है, इस हद तक कोई झगड़ा नहीं है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता है, लेकिन यह मानने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पूर्व-योग्यता है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए समान विषय के डिप्लोमा की योग्यता के अधिग्रहण को न तो डिप्लोमा के समकक्ष योग्यता के रूप में माना जाएगा। यदि लेटरल एंट्री के तर्क को आधार बनाया जाए तो यह भी प्रावधान है कि जिन्होंने बी.एससी. कर लिया है वे डिग्री

पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि हर डिग्री धारक पहले से ही बी.एससी. अवधि। यदि राज्य सरकार का इरादा ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को वर्तमान भर्ती-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र होने और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना था, तो दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में ही ऐसी पात्रता का संकेत दिया गया होता। आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 15.12.2021 के कार्यालय आदेश जारी करने मात्र को उसी आधार पर नहीं रखा जा सकता है।

25. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ताओं ने, **पुनीत शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड [(2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 291]**।के मामले में अगले निर्णय पर भरोसा जताया है। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दो प्रश्नों पर विचार किया, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री तकनीकी रूप से उस विषय में डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता है? और, क्या डिग्री धारक प्रासंगिक भर्ती नियमों के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं? उच्चतम न्यायालय ने नोट किया है कि जेई के पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने वाले प्रासंगिक नियम मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय/केंद्र द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ न्यूनतम मैट्रिकुलेट होने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करते हैं। राज्य सरकार और इसके अलावा, भर्ती की विधि 80% सीधी भर्ती और 20% पदोन्नति द्वारा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि एआईसीटीई ने 12.01.2007 को अधिसूचना जारी की थी कि जो छात्र न्यूनतम 3वर्ष के संस्थागत अध्ययन (10+2 माध्यमिक परीक्षा के बाद) के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करता है, डिप्लोमा धारकों को अकादमिक रूप से छात्रों के समकक्ष होना चाहिए। जिनके पास 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम का प्रथम वर्ष था। यह नोट किया गया कि एचपीएसईबी पर लागू भर्ती और पदोन्नति नियमों को 24.05.2010 को संशोधित किया गया था और उन्होंने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद से सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान की थी।उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय इस बात से अवगत है कि प्रश्न में मुद्दा यह

है कि क्या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता या अन्य निर्धारित योग्यता में उस अनुशासन में डिग्री शामिल है, हालांकि, नियमों को समग्र रूप से माना जाना चाहिए . तो देखें दो उप-कोटा हैं:

(1). 5% उन डिप्लोमा धारकों को सक्षम बनाता है जो जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा के दौरान डिग्री योग्यता प्राप्त करते हैं; और

(2). जूनियर इंजीनियर के रूप में शामिल होने से पहले डिग्री रखने वालों में 5% सक्षम बनाना।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिनांक 03.06.2020 के संशोधन द्वारा, एचपीएसईबी ने बिना किसी संदेह के स्पष्ट कर दिया है कि जूनियर इंजीनियर के पद के लिए भी, उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र हैं।उच्चतम न्यायालय ने देखा कि यद्यपि संशोधित नियम संभावित रूप से लागू किए गए हैं, फिर भी, स्पष्ट होने के कारण, वे उस भर्ती पर लागू होते हैं जो वर्तमान विवाद का विषय है। पिछले निर्णयों पर गौर करने और ऐसे निर्णयों को तथ्यों के आधार पर अलग करने के बाद, अंततः उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "38. पिछले निर्णयों अर्थात पी.एम. में इस न्यायालय के विचार क्या थे? लता बनाम. केरल राज्य [(2003) 3 एससीसी 541], योगेश कुमार बनाम एनटीसी दिल्ली सरकार, पंजाब राज्य बनाम अनिता [(2015) 2 एससीसी 170] इस मामले के तथ्यों से काफी अलग थे। इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि आम तौर पर उच्च योग्यता मानी जाने वाली योग्यता को छोड़कर एक विशिष्ट योग्यता का नुस्खा कुछ श्रेणियों के पदों पर लागू हो सकता है। इस प्रकार, लता और योगेश कुमार के साथ-साथ अनीता (सुप्रा.) के पास डिग्री या स्नातकोत्तर या बी.एड. है। डिग्री प्राप्त करने वालों को प्राथमिक या जूनियर शिक्षक पद के लिए योग्य नहीं माना गया। इसी तरह, जहूर अहमद राथर (सुप्रा.) में, "तकनीशियन- III" या निचले पद के लिए, जूनियर इंजीनियर के पद के लिए समकक्ष योग्यता अर्थात डिप्लोमा धारकों को बाहर रखा गया माना जाता था। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अनीता के साथ-साथ जहूर (सुप्रा.)

में ज्योति (सुप्रा.) की शर्त जो उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों पर विचार करने में सक्षम बनाती है, को एक विशिष्ट आधार माना जाता था। एचपीएसईबी नियमों में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है। फिर भी, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सहायक अभियंता (कनिष्ठ अभियंता के बाद पदानुक्रम में) के उच्च पद पर लगभग 2/3 (64%) पदोन्नति कोटा है। इन व्यक्तियों में से, जिनके पास जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्ति से पहले डिग्री थी, वे एक अलग और विशिष्ट उप-कोटा में विचार के पात्र हैं, बशर्ते कि वे एक निर्धारित अवधि के लिए लगातार जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य करें। इस प्रमुख पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता; यह केवल नियम निर्माताओं की मंशा को दर्शाता है कि जूनियर इंजीनियरों के निचले पद के लिए डिग्री धारकों को विचार से बाहर नहीं किया जाए।

39. जैसा कि पहले देखा गया है, उपरोक्त विचारों के अलावा, 03.06.2020 को नियमों में एक संशोधन किया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि उच्च योग्यता वाले लोग भी नियुक्ति के लिए आवेदन करने या विचार करने के पात्र हैं। यह संशोधन सभी संदेहों और विवादों को दूर करने के लिए लाया गया था और इस अर्थ में, संशोधन प्रावधानों को शुरुआत से ही शामिल किया गया माना जाना चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उस मामले के तथ्यों में, उच्चतम न्यायालय ने डिग्री धारकों को डिप्लोमा धारकों के साथ जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए पात्र होने की अनुमति दी थी। वर्तमान मामले में, तथ्यों के साथ-साथ वैधानिक नियमों के अवलोकन से, राज्य सरकार की मंशा वर्तमान भर्ती -2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र होने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के साथ डिग्री धारकों को भी शामिल करने की है। कहीं प्रतिबिंबित नहीं करता. राज्य सरकार ने दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में न तो अपना इरादा व्यक्त किया और न ही ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री को केवल उच्च होने के कारण ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के समकक्ष योग्यता मानने का

कोई आधार या नियम या तर्कसंगत तर्क है। शैक्षणिक योग्यता। प्रमोशनल पोस्ट पर कोई अलग कोटा नहीं बताया गया है। इसलिए, **पुनीत शर्मा (सुप्रा.)** के मामले में दिया गया अनुपात निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

26. प्रति कॉन्ट्रा, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित और भरोसा किए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

27. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने दीपक सिंह बनाम के मामले में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यूपी राज्य [(2020) 1 एएलजे 596] और अभिषेक शर्मा बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर दीपक सिंह के अनुपात निर्णय पर भरोसा करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य [(2022) 3 सभी डब्ल्यूसी 3030]।

**दीपक सिंह (सुप्रा.)** के मामले में, निम्नलिखित चार प्रश्न बड़ी बेंच को भेजे गए थे:

> "क. क्या संबंधित क्षेत्र में डिग्री को उस क्षेत्र में डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता के रूप में देखा जाना चाहिए?
>
> ख. क्या आलोक कुमार मिश्रा और कार्तिकेय के निर्णय कानून में सही स्थिति बताते हैं जब वे मानते हैं कि एक डिग्री धारक को जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के क्षेत्र से बाहर रखा गया है?
>
> ग. क्या प्रासंगिक वैधानिक नियमों के आलोक में किसी डिग्री धारक को जूनियर इंजीनियर की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है?
>
> घ. क्या डिग्री धारकों को विचार क्षेत्र से बाहर करना उत्तराखंड राज्य बनाम दीप चंद्र तिवारी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित परीक्षणों को पूरा करेगा?

पूर्ण पीठ ने कहा कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जूनियर इंजीनियर संगनक और फोरमैन (सामान्य भर्ती) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के विज्ञापन में विशेष रूप से केवल सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले

उम्मीदवारों को पात्रता प्रदान की गई है। याचिकाकर्तागण के पास सिविल/इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री थी और वे विज्ञापन के तहत पद पर विचार किए जाने से बाहर किए जाने से व्यथित थे। याचिकाकर्तागण की ओर से यह प्रचार करने की मांग की गई थी कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता को "न्यूनतम योग्यता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर उच्च योग्यता पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। प्रत्यर्थीगण की ओर से इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि इंजीनियरिंग में स्नातक को इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की प्रगति में योग्यता नहीं कहा जा सकता है। चूंकि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग में स्नातक के पाठ्यक्रम के संबंध में बहुत अलग है। पूर्ण पीठ ने **उत्तराखंड राज्य बनाम दीप चंद तिवारी [2013 (15) एससीसी 557]** के मामले में निर्णय सुनाया कि उस निर्णय का अनुपात निर्णय इस प्रस्ताव को मजबूत करता है कि जहां योग्यता निर्दिष्ट की गई है, वहां निर्दिष्ट निर्दिष्ट आवश्यकता से कोई विचलन नहीं होना चाहिए। **दीप चंद तिवारी (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम  न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया कि एक सामान्य नियम के रूप में, उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को किसी पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता को पूरा करने वाला माना जाता है, लेकिन उच्च योग्यता उसी चैनल में होनी चाहिए। पूर्ण पीठ ने देखा और कहा कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में स्नातक को एक ही चैनल में नहीं माना जा सकता है और यह भी कि इंजीनियरिंग में स्नातक को डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, विचार के क्षेत्र से डिग्री धारकों का बहिष्कार **दीप चंद तिवारी (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करने के लिए पाया गया और तदनुसार, प्रश्न संख्या डी का उत्तर दिया गया।

प्रश्न संख्या सी के संबंध में, पूर्ण पीठ ने माना है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में स्नातक के समान नहीं है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी उम्मीदवार के पास दोनों योग्यताएं हैं तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद एक उम्मीदवार भी, इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है, तो जाहिर तौर पर वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अयोग्य होगा कि उसने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल कर लिया है जो पद के लिए आवश्यक है और उस स्थिति में, उसे

भाग लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उसके पास डिग्री की अतिरिक्त योग्यता थी। डिप्लोमा. हालाँकि, जिन डिग्री धारकों ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा नहीं किया है, उन्हें प्रासंगिक वैधानिक नियमों के आलोक में जूनियर इंजीनियर के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था और तदनुसार प्रश्न संख्या सी का उत्तर दिया गया था।

प्रश्न संख्या ए और बी के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद पूर्ण पीठ ने पाया कि उच्चतम न्यायालय का कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं है कि इंजीनियरिंग में डिग्री एक ही पंक्ति में हो। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के रूप में प्रगति। इस सिद्धांत के लिए, **जहूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज अहमद [(2019) 2 एससीसी 404]** के मामले में निर्णय का अनुपात निर्णय। का संज्ञान लिया गया और **ज्योति के.के. (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय सुनाया गया। को इस आधार पर प्रतिष्ठित किया गया कि ज्योति के.के. के मामले में निर्णय की सादृश्यता। (सुप्रा.) केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1956 के नियम 10(ए) (ii) की व्याख्या पर निर्भर है। पी.एम. के मामले में निर्णय। लता बनाम. केरल राज्य [(2003) 3 एससीसी 541] पर भी चर्चा की गई और देखा गया कि उक्त निर्णय का अनुपात निर्णय, वास्तव में इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि इंजीनियरिंग में स्नातक विचार करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि यह निहित नहीं किया जा सकता है कि इंजीनियरिंग में स्नातक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता है। पूर्ण पीठ ने माना है कि आवश्यक योग्यताएं या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित करते समय राज्य सरकार, राज्य सरकार और न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्य की प्रकृति के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, उन्हें पात्रता की शर्तों को निर्धारित करने से रोक दिया गया है। यदि नियमों की भाषा स्पष्ट है, तो नियोक्ता के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, यह तय करने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दीपक सिंह (सुप्रा.) के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय कीउच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 27250/2019 में पुष्टि की है।

28. इस न्यायालय ने देखा है कि **एस. सत्यपाल रेड्डी (सुप्रा.)** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री उसी विषय में

डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता है और राज्य सरकार के पास उच्च योग्यता निर्धारित करने की शक्तियां हैं। योग्यता भी, इसलिए, उस मामले में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक की उच्च योग्यता निर्धारित करने के राज्य सरकार के रुख को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। **दीपक सिंह (सुप्रा.)** के मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय में, पूर्ण पीठ ने राय दी है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय या कोई नियम नहीं है कि डिग्री को वैध माना जाए। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता को पहले से मानता है और इसलिए, उस अर्थ में, इंजीनियरिंग में डिग्री को उस क्षेत्र के इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय दोनों निर्णयों के बीच कोई झगड़ा नहीं पाता है। इसी तरह का दृष्टिकोण अभिषेक शर्मा (सुप्रा.) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा अपनाया और व्यक्त किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता निर्धारित नहीं की है। 1980 के नियमों के तहत क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के नियमों के तहत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई थी, तो उस स्थिति में, डिग्री धारकों को क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के पद के लिए विचार से बाहर रखा गया था। यह न्यायालय वर्तमान मामले में भी इसी दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है।

29. यह न्यायालय याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को बल देता है कि आर.एस.एस.बी. द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 के आधार पर ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता को पात्रता योग्यता के रूप में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आर.एस.एस.बी. की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 1963 के वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित योग्यता से परे है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देने में सही हैं कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र होने की अनुमति देने की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार अर्थात नियम बनाने और नियुक्ति प्राधिकरण के पास हैं, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों में राज्य सरकार ने ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है

और न ही नियमावली 1963 के नियम 11, अनुसूची-I में ऐसी कोई योग्यता जोड़ी गई है और न ही राज्य सरकार ने दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में ऐसी योग्यता निर्धारित की है।

30. यह न्यायालय **डॉ. कृष्ण चंद्र साहू बनाम उड़ीसा राज्य [(1995) 6 एससीसी 1],** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, ऐसे तर्कों को स्वीकार करने के लिए समर्थन पाता है। जिसमें यह माना गया है कि उपयुक्तता मानदंड नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना है और चयन मानदंड चयन बोर्ड/चयन समिति द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विशेष रूप से अधिकार दिया गया। त्वरित संदर्भ के लिए पैरा संख्या 31, 34, 35 और 36 निम्नानुसार निकाले जा रहे हैं:

> "31. अब, सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को पद उपलब्ध हैं और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियम बनाए गए थे। यदि किसी दिए गए मामले में वैधानिक नियम, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा, या उस मामले के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो यह उपयुक्त सरकार (केंद्र सरकार के अधीन) के लिए खुला होगा। अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार कार्यकारी निर्देश जारी करेगी। हालाँकि, यदि नियम बनाए गए हैं लेकिन वे किसी विषय या मुद्दे पर चुप हैं, तो चूक की आपूर्ति की जा सकती है और नियमों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा पूरक किया जा सकता है।
>
> 34. <u>चयन समिति के पास चयन के लिए मानदंड निर्धारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और न ही आवश्यक निहितार्थ से ऐसी शक्ति ग्रहण की जा सकती है। पी.के. में रामचन्द्र लायर बनाम भारत संघ [(1984) 2 एससीसी 141], यह देखा गया:</u>
>
> आवश्यक अनुमान के अनुसार, एएसआरबी में आवश्यक योग्यताओं

को जोड़ने के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि ऐसी शक्ति का दावा किया जाता है, तो इसे स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट कारणों से आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है कि नियमों से इस तरह के विचलन से अपूरणीय और अपरिवर्तनीय क्षति होने की संभावना है।

35. इसी प्रकार, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ [(1985 2 एससीआर 367] में, यह देखा गया कि चयन समिति के पास नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अलावा अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। दुगाचरण मिश्रा बनाम उडीसा राज्य [(1987) 4 एससीसी 646] में इन दोनों निर्णयों का पालन किया गया और चयन समिति की सीमाओं को बताया गया कि उसके पास न्यूनतम अंक निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो एक उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में प्राप्त करना था।

36. यह बताया जा सकता है कि अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने का कार्य विधायी है न कि कार्यकारी जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बी.एस. में निर्धारित किया गया था। यादव बनाम हरियाणा राज्य [एआईआर (1981) एससी 561]। इस कारण से भी, चयन समिति या चयन बोर्ड को चयन के लिए कोई मानक या आधार निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि यह चयन के नियम को कानून बनाने के समान होगा।

(जोर दिया गया)

31. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता को उच्च शैक्षणिक योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया है, इसे ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के समकक्ष योग्यता के रूप में माना जाता है। एम.वी.एस.आई. के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती-2021 की वर्तमान प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी विज्ञापन दिनांक 24.11.2021 में। यह भी सच है और इसमें कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि डिप्लोमा की तुलना में

उच्च योग्यता होने के बावजूद ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता एम.वी.एस.आई. के पद के लिए 1963 के नियमों की अनुसूची-1 के नियम 11 के तहत निर्धारित नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकार ने आरएसएसबी द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 का समर्थन किया है और रिट याचिकाओं के जवाब में यह रुख अपनाया है कि एमवीएसआई अर्थात मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती- 2013 की पिछली भर्ती प्रक्रिया में, राजस्थान जनता सेवा आयोग उच्च योग्यता के लिए विभाग से मार्गदर्शन चाहता है और विभाग द्वारा 04.09.2015 को सूचित किया गया कि उपरोक्त पद के लिए 3 वर्ष के डिप्लोमा से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पात्र माना जा सकता है। आर.एस.एस.बी. ने 15.12.2021 के कार्यालय आदेश जारी करने को भी उचित ठहराने की कोशिश करते हुए तर्क दिया है कि यह कार्यालय आदेश केवल एक स्पष्टीकरण है, और पहले की भर्ती में, डिग्री धारकों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी और उनका चयन भी किया गया था।

32. इस संबंध में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि कानून के खिलाफ कोई रोक या छूट नहीं हो सकती है। जब ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारक को एम.वी.एस.आई. की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने वाली आर.एस.एस.बी. की कार्रवाई 1963 के वैधानिक नियमों द्वारा समर्थित नहीं है, तो उसे एस्टॉपेल और छूट के सिद्धांत को लागू करके उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विधिक दलीलों को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कृष्ण राय बनाम के मामले मेंउच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय [(2022) 8 एससीसी 713]। इस मामले में,उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले वैधानिक सेवा नियम पर रोक और सहमति का सिद्धांत लागू होगा। उक्त मुद्दे का उत्तर देते समय, उच्चतम न्यायालय के पिछले कई निर्णयों का पालन करने के बाद और विशेष रूप से टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम कॉमरेड के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए। सीमा शुल्क [(2015) 11 एससीसी 628] में, यह माना गया कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा

करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, और यदि उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो कानून की नजर में उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा।

33. इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों से पूरी तरह सहमत है और उसकी सुविचारित राय है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की किसी भी योग्यता के अभाव में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए या तो 1963 के वैधानिक नियमों के तहत पात्र होना चाहिए या दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन या राज्य सरकार द्वारा इस आशय की किसी अधिसूचना में, स्पष्टीकरण की आड़ में कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके आर.एस.एस.बी. द्वारा ऐसी योग्यता अतिरिक्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय का अगला निर्णय, जिस पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा जताया है, प्रकाश चंद मीना बनाम राजस्थान राज्य [(2015) 8 एससीसी 484] के मामले में दिया गया है। उस मामले में, आरपीएससी ने 03.09.2008 को पीटीआई ग्रेड II और पीटीआई ग्रेड III के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था। दोनों पदों के लिए एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 04.10.2009 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, 18.12.2009 को समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि राज्य सरकार ने आयोग को निर्देश दिया था कि डीपीएड और/या बीपीएड रखने वाले उम्मीदवारों को भी पीटीआई ग्रेड के पद के लिए पात्र माना जाए। III, इस आधार पर कि इन योग्यताओं को सीपीएड से अधिक या उसके बराबर माना जाना चाहिए। इसलिए, पीटीआई ग्रेड के पद के लिए आवेदक। सीपीएड की योग्यता रखने वाले III राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण से व्यथित थे और इसलिए, उन्होंने रिट याचिकाएँ दायर कीं। <u>विद्वान एकलपीठ ने रिट याचिकाओं की अनुमति दी, लेकिन निर्णय को खंडपीठ ने निरस्त कर दिया, इसलिए, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। उच्चतम न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया और विद्वान एकलपीठ के निर्णय को बहाल कर दिया और कहा कि "विचार पर विचार करने के लिए, शुरुआत में देखे गए मुद्दे का निर्णय विद्वान एकलपीठ द्वारा तय किए गए कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।" भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ।</u> विज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर मौजूद नियमों के अनुसार।" यह

माना गया कि पात्रता योग्यता के मामले में, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले या उससे पहले मौजूद भर्ती नियमों या सरकारी आदेश में समकक्ष योग्यता को मान्यता दी जानी चाहिए। चूँकि उस मामले में, विज्ञापन दिनांक 03.09.2008 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें यह संकेत नहीं दिया गया था कि समकक्ष या उच्च योग्यता धारक आवेदन करने के लिए पात्र थे और न ही समकक्ष योग्यताएं संबंधित समय के भर्ती नियमों या सरकारी आदेशों में परिलक्षित होती थीं, इसलिए, बीपीएड और डीपीएड की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना गया।

(जोर दिया गया)

35. **प्रकाश चंद मीना (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, एम.वी.एस.आई. के पद के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया-2021 दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू हो गई है और न ही कोई विज्ञापन न ही 1963 के भर्ती नियमों में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च योग्यता को पद के लिए पात्र या समकक्ष योग्यता निर्धारित किया गया है और योग्य निर्धारित योग्यता ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। समतुल्यता की अवधारणा, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई कि समतुल्य योग्यता का मतलब सटीक योग्यता नहीं है, वर्तमान रिट याचिकाओं के दिए गए तथ्यों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार को दिनांकित विज्ञापन के भर्ती नियमों में संकेत देना चाहिए था। 24.11.2021 कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च योग्यता को एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र होने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता के बराबर माना जाता है। इसलिए, दिनांक 15.12.2021 को एक स्पष्टीकरण कार्यालय आदेश जारी करने की आड़ में डिग्री धारकों को एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई और रिट याचिकाओं के उत्तर में यह तर्क दिया गया कि डिग्री की योग्यता को कम से कम डिप्लोमा के बराबर माना जाना चाहिए। एक ही अनुशासन में होने के कारण, वह दंडनीय नहीं है और प्रत्यर्थीगण का ऐसा रुख कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

36. अलका ओझा बनाम के मामले में। राजस्थान लोक सेवा आयोग [(2011) 9 एससीसी 438], उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ आया कि क्या मोटर वाहन उपनिरीक्षक पद के लिए राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 में निर्धारित योग्यताएं अनिवार्य हैं तथा क्या याचिकाकर्ता, जो उच्च न्यायालय के विद्वान एकलपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में एम.वी.एस.आई. के रूप में नियुक्त किए गए लोग खंडपीठ द्वारा विद्वान एकलपीठ के आदेश को उलटने के बावजूद सेवा में बने रहने के पात्र हैं।उच्चतम न्यायालय ने एम.वी.एस.आई. के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए योग्यता पर विचार करने के बाद, 1963 के नियमों की अनुसूची-1 के नियम 11 के तहत निर्धारित शर्तों को निम्नानुसार रखा-

> “14. नियम 11 में "करेगा" शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यताएं अनिवार्य हैं और सीधी भर्ती द्वारा मोटर वाहन उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार के पास वे योग्यताएं होनी चाहिए और हिंदी में लिखित भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। देवनागरी लिपि एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। नियम 11, अनुसूची की प्रासंगिक प्रविष्टियों और विज्ञापन के पैराग्राफ 13 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसके पास निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव और मोटर साइकिल, भारी माल वाहन चलाने के लिए अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और भारी यात्री वाहन मोटर वाहन उप-निरीक्षक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

हालांकि उस मामले में तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्तागण के पास निर्धारित योग्यता अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस की कमी थी जो उन्हें मोटर साइकिल, भारी माल वाहन और भारी यात्री वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता था, फिर भी उन्हें आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनंतिम अनुमति दी गई और यहां तक कि उन्हें नियुक्ति भी दी गई। विद्वान एकलपीठ के आदेशों के तहत, लेकिन विद्वान एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ ने उलट दिया था, तब उच्चतम न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय को बरकरार रखा और अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिवीजन की टिप्पणियों के अनुसार

भी खंडपीठ ने मोटर वाहन उप-निरीक्षक की नई भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी होने तक याचिकाकर्तागण को सेवा में बने रहने की अनुमति दी।

37. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने डॉली शर्मा बनाम के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5283/2019 में राजस्थान राज्य, जहां न्यायालय को इस प्रश्न का सामना करना पड़ा कि क्या, एमए (अंग्रेजी) में डिग्री प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता शिक्षक ग्रेड के पद के लिए पात्र हैं। III (स्तर II) (अंग्रेजी) जिसके लिए नियम, 1996 के नियम 266(3) के तहत पात्रता वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक थी। न्यायालय ने माना कि यद्यपि याचिकाकर्तागण ने अंग्रेजी में एम.ए. उत्तीर्ण किया है और दावा किया है कि उनके पास उच्च योग्यता है, इसलिए उन्हें पात्र घोषित किया जाए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्तागण ने स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि अनिवार्य भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया है, इसलिए, वे ऐसा करते हैं। 1996 के नियमों के नियम 266(3) के तहत आवश्यक और वैधानिक शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्तागण को शिक्षक ग्रेड के पद के लिए पात्र घोषित नहीं किया गया। तृतीय स्तर द्वितीय. समन्वय पीठ ने जहूर अहमद (सुप्रा.) के मामले मेंउच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया, जिसमें निर्धारित योग्यता इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई के साथ मैट्रिक थी और अपीलार्थीगण के पास आईटीआई प्रमाणपत्र नहीं था, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा धारक थे। और संचार, इसलिए, माननीय उच्चतम  न्यायालय ने ज्योति के.के. (सुप्रा.) के मामले में निर्णय को अलग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा:

> "26. ज्योति के.के. मामले में निर्णय पर जो व्याख्या दी गई है, हम उससे सम्मानजनक सहमत हैं। बनाम केरल लोक सेवा आयोग [(2010) 15 एससीसी 596] पंजाब राज्य बनाम के बाद के निर्णय में। अनीता [(2015) 2 एससीसी 170]। ज्योति केके में निर्णय नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को चालू कर दिया गया। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं होगा कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य, भले ही निम्न योग्यता हो, के अधिग्रहण

को पहले से मानती है। किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यताएं निर्धारित करने का पात्र है। निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है।

इसी प्रकार, योग्यता की समकक्षता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करना भर्ती प्राधिकारी के रूप में राज्य का मामला है। ज्योति केके में निर्णय एक विशिष्ट वैधानिक नियम पर आधारित था जिसके तहत उच्च योग्यता रखने का अर्थ कम योग्यता प्राप्त करना हो सकता है। वर्तमान मामले में ऐसे नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम पर महत्वपूर्ण अंतर डालती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का विद्वान एकलपीठ के निर्णय को पलटना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि अपीलार्थीगण निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। हमें खंडपीठ के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली।'

(जोर दिया गया)

*इस प्रकार, **अलका ओझा (सुप्रा.) और डॉली शर्मा (सुप्रा.)** के मामलों में निर्णय याचिकाकर्तागण के मामले को समर्थन प्रदान करते हैं।*

38. माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार और चर्चा करने के बाद, मुद्दा संख्या (I) याचिकाकर्तागण के पक्ष में और प्रत्यर्थीगण के खिलाफ तय किया गया है और यह माना जाता है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सकते। आर.एस.एस.बी. द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 के आधार पर एम.वी.एस.आई. पद के लिए वर्तमान सीधी भर्ती-2021 में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों ने ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम भी किया है, तो जाहिर

तौर पर वे पात्र होंगे और योग्यता के आधार पर एम.वी.एस.आई. के पद पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। वर्तमान भर्ती.

अंक संख्या(II):-

39. शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की समकक्षता से संबंधित मामलों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा और इस मुद्दे के संबंध में भी कि उच्च योग्यता पहले से ही कम योग्यता के अधिग्रहण को मानती है, अब कोई अभिन्न अंग नहीं है और इसे सुरक्षित रूप से माना जा सकता है घूरकर निर्णय लेने के सिद्धांत के अनुसार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालयों को थककर चलना चाहिए। यह नियोक्ता पर विचार करने का काम है कि किस प्रकार के अध्ययन और पाठ्यक्रम की सामग्री से योग्य योग्यता प्राप्त की जा सकेगी और ऐसे मामलों को शिक्षाविदों के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और यह विशेषज्ञों के निर्णय पर विशेषज्ञ निकाय के रूप में बैठना न्यायालय का कार्य नहीं है। इस तरह के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, जहूर अहमद राथर बनाम के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया। शेख इम्तियाज अहमद [(2019) 2 एससीसी 404], महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वराडे [(2019) 6 एससीसी 362] और मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक बनाम। अनित कुमार [(2021) 12 एससीसी 80] उपयुक्त होंगे।

जहूर अहमद (सुप्रा.) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

> "26. हम पंजाब राज्य बनाम अनिता [(2015) 2 एससीसी 170] के बाद के निर्णय में ज्योति केके के निर्णय पर दी गई व्याख्या से सम्मानजनक सहमत हैं। ज्योति केके में निर्णय नियम 10(ए)(ii) के प्रावधानों को चालू कर दिया गया। इस तरह के नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं होगा कि एक उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य, भले ही कम योग्यता हो, के अधिग्रहण से पहले होती है। किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यताएं निर्धारित करने का पात्र है।

निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार, योग्यता की समकक्षता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करना भर्ती प्राधिकारी के रूप में राज्य का मामला है। ज्योति केके में निर्णय एक विशिष्ट वैधानिक नियम पर आधारित था जिसके तहत उच्च योग्यता रखने का अर्थ कम योग्यता प्राप्त करना हो सकता है। वर्तमान मामले में ऐसे नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम पर महत्वपूर्ण अंतर डालती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकलपीठ के निर्णय को पलट दिया और पृष्ठ 177 पर 10 आईडी पर आकर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थीगण निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। हमें खंडपीठ के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली।'

26. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। अध्ययन जो योग्यता प्राप्त करने की ओर ले जाता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की अत्यावश्यकताएँ, यह घिसा-पिटा कानून है, प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य उन सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रख सकता है जिनके लिए सामाजिक संरचना में नौकरी के अवसरों के निर्माण की आवश्यकता होती है। ये सभी मूलतः नीति के मामले हैं। न्यायिक समीक्षा को सावधानी से चलना चाहिए। यही कारण है कि ज्योति केके में निर्णय को एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके तहत उच्च योग्यता का होना, जिसमें कम योग्यता प्राप्त करना शामिल है, पद के लिए पर्याप्त माना जाता था। यह विशिष्ट नियम के संदर्भ

में था कि ज्योति केके में निर्णय बदल गया।

**महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (सुप्रा.)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

> "9. किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नियोक्ता को तय करना है। नियोक्ता किसी भी वरीयता अनुदान सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। यह नियोक्ता ही है जो नियोक्ता की जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार उम्मीदवार की आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। न्यायालय पात्रता की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती है, विज्ञापन की व्याख्यात्मक पुनर्लेखन द्वारा आवश्यक योग्यता के बराबर वांछनीय योग्यता के संबंध में इस मुद्दे पर तो गहराई से विचार नहीं कर सकती है। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकता। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या यह किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उचित आदेश के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा। किसी भी मामले में न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह तय नहीं कर सकता कि नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है और विज्ञापन की शर्तों की स्पष्ट भाषा के विपरीत व्याख्या नहीं कर सकता है।"

**मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (सुप्रा.)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी:

> "21. इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में कहा है, किसी भी पद के लिए योग्यता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारण और निर्णय लेना नियोक्ता का काम है और इस पर विचार करना और मूल्यांकन करना न्यायालय का काम नहीं है। नियोक्ता को

> किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यायालयों द्वारा अधिक छूट की अनुमति दी जाती है। इसके पीछे एक तर्क है. योग्यताएं किसी संस्थान या उद्योग या प्रतिष्ठान, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता और हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। योग्यताओं के ऐसे नुस्खे की समीचीनता या व्यवहार्यता या उपयोगिता का आकलन करने के लिए न्यायालय उपयुक्त उपकरण नहीं हैं। हालाँकि, साथ ही, नियोक्ता पदों के लिए योग्यता निर्धारित करने में मनमाने ढंग से या काल्पनिक तरीके से कार्य नहीं कर सकता...।"

40. इस तथ्य पर ध्यान देना अनुचित नहीं होगा कि **जहूर अहमद (सुप्रा.)** के निर्णय पर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा जताया है। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के अनुपात पर भरोसा जताया है जो यह निर्धारित करता है कि पद के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवारों को वैधानिक नियमों के तहत आवश्यक पात्रता की पुष्टि करनी होगी। इसी प्रकार, इस निर्णय में निर्धारित कानून का अनुपात यह है कि न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं होगी कि उच्च योग्यता आवश्यक रूप से किसी अन्य के अधिग्रहण को पूर्व मानती है, भले ही कम योग्यता हो। निर्धारित योग्यता के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार, योग्यता की समकक्षता भी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सके। साथ ही, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए **जहूर अहमद (सुप्रा.)** के निर्णय पर भरोसा जताया है कि एआईसीटीई परिपत्र और एनसीटीई दिशानिर्देशों के अनुसार, दूसरे में सीधे डिप्लोमा धारकों के लिए पार्श्व प्रवेश का प्रावधान है। समान अनुशासन में डिग्री पाठ्यक्रम का वर्ष और आगे जब आर.एस.एस.बी. ने कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनुशासन में डिप्लोमा की तुलना में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुमति दी है और इस प्रकार, उच्च योग्यता वाले डिग्री धारक पात्र हैं . इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से डिग्री धारकों को वर्तमान भर्ती में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्र और आवेदन करने की अनुमति देने पर सहमति

व्यक्त की है, जैसा कि समकक्ष समिति की दिनांक 14.10.2022 की रिपोर्ट ने पुष्टि की है। डी.ओ.पी. की राय, इसलिए, वर्तमान भर्ती-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित करने और घोषित करने के लिए इस न्यायालय के लिए न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है।

41. इस न्यायालय की राय है कि **जहूर अहमद (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में याचिकाकर्तागण के पक्ष में है। क्योंकि न्यायालय ने देखा है कि डी.ओ.पी. के दिनांक 30.08.2022 के पत्र के साथ-साथ समकक्ष समिति की दिनांक 14.10.2022 की रिपोर्ट में, इस आशय का कोई निष्कर्ष/टिप्पणी नहीं है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आवश्यक रूप से पूर्व -इसमें समान विषय में डिप्लोमा की योग्यता हासिल करना शामिल है। इसके अलावा, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि वर्तमान भर्ती-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्रता और भागीदारी के उद्देश्य से डिग्री को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनुशासन में डिप्लोमा के बराबर योग्यता के रूप में माना जाना चाहिए।

42. यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में सचेत है, हालांकि, डी.ओ.पी. के पत्र दिनांक 30.08.2022 और समकक्ष समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 के आधार पर अपना निर्णय देने से पहले, इसकी सामग्री पर गौर करना आवश्यक है। तुल्यता समिति के पत्र और रिपोर्ट से पता चलता है कि क्या उन्होंने निर्णायक मुद्दों पर राय/विचार व्यक्त किए हैं।

43. जिन तथ्यों के तहत डी.ओ.पी. का पत्र दिनांक 30.08.2022 जारी किया गया, उसकी पृष्ठभूमि यह है कि जिन उम्मीदवारों के पास ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है और एम.वी.एस.आई. के पद के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया-2021 में भाग लिया है, जब आर.एस.एस.बी. द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 को चुनौती दी गई थी, सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 में उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की गई थी और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2022 के आदेश के तहत उनके आवेदन की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उनके अधिवक्ता ने 1963 के नियमों के नियम 36 को दोहराया, जिसमें प्रावधान है कि यदि इन नियमों के आवेदन और दायरे से संबंधित कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो इसे सरकार अर्थात कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय

अंतिम होगा। इस न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत आर.एस.एस.बी. के अधिवक्ता को इस मामले को कार्मिक विभाग को संदर्भित करने का निर्देश दिया, ताकि इस बिंदु पर उनकी राय मांगी जा सके कि क्या उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले व्यक्ति इस पद के लिए पात्र हैं। 1963 के नियमों के तहत एम.वी.एस.आई.। इस न्यायालय के ऐसे निर्देशों के अनुसरण में, ऐसा प्रतीत होता है कि आर.एस.एस.बी. ने कार्मिक विभाग से राय मांगी और जवाब में, संयुक्त सचिव, डी.ओ.पी., सरकार द्वारा दिनांक 30.08.2022 का पत्र जारी किया गया है। राजस्थान इस पत्र का अवलोकन, जिसे निर्णय के पैरा-7 में निकाला गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि डी.ओ.पी. के आदेश पर दिनांक 30.08.2022 के इस पत्र के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि समान ट्रेड में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। एम.वी.एस.आई. पद के लिए. पूरे पत्र में केवल एक पंक्ति में ही निर्णय का संकेत दिया गया है।

"अतः मोटर वाहन उप निरीक्षक पद हेतु संबंधित ट्रेड में निर्धारित योग्यता से उच्च योग्यताधारी व्यक्ति को भी पद हेतु णत्र माना जायेगा।".

44. दिनांक 30.08.2022 का यह पत्र कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि इस मुद्दे पर सरकार द्वारा सोच-समझकर विचार किया गया था। ऐसा निर्णय लेने से पहले कार्मिक विभाग द्वारा किसी विचार-विमर्श या विचार-विमर्श की गई किसी सामग्री का कोई संदर्भ नहीं है। इस पत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के व्यापार में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को एम.वी.एस.आई. के पद पर भर्ती के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के समकक्ष योग्यता रखने वाला माना जाएगा। इसके अलावा, यह पत्र स्वयं दर्शाता है कि राजस्थान सरकार, डी.ओ.पी. के आदेश पर, 30.08.2022 को निर्णय लिया गया है और इससे पहले, राज्य सरकार के इस तरह के रुख को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है। इस पत्र में इस बात का कोई संदर्भ नहीं है कि पिछले वर्षों में एम.वी.एस.आई. पद के लिए भर्ती में, सरकार ने ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र होने की अनुमति देने वाला कोई स्पष्टीकरण या पत्र जारी किया है।

ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के साथ एम.वी.एस.आई. का पद। भले ही पत्र दिनांक 30.8.2022 को संपूर्णता में लिया गया हो, जैसा कि यह है, अधिक से अधिक, इस पत्र में डी.ओ.पी. के निर्णय का संकेत दिया गया है जो कि चयन प्रक्रिया के बीच में लिया गया उत्तर दिनांकित निर्णय है। इस पत्र के आधार पर यह स्पष्ट रूप से नहीं माना जा सकता है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन जारी होने के समय एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने के पात्र और पात्र थे। यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में, राज्य सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि डिप्लोमा धारकों की तुलना में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के व्यापार में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे और आवेदन करने के पात्र होंगे। और एम.वी.एस.आई. पद के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। पात्रता के मानदंडों में बाद में बदलाव की कानूनन अनुमति नहीं है।

45. हालाँकि सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022 में पत्र दिनांक 30.08.2022 को आक्षेपित किया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है, लेकिन भले ही इस पत्र दिनांक 30.08 के आधार पर इस पत्र को निरस्त या अलग करने की घोषणा नहीं की गई है। 2022, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को 24.11.2021 के विज्ञापन के प्रकाशन के साथ शुरू की गई एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र और पात्र नहीं ठहराया जा सकता है। यह न्यायालय मुद्दे संख्या (आई) पर विचार करते समय कानून और न्यायिक उदाहरणों का समर्थन पाता है, जैसा कि इस निर्णय के पूर्वगामी पैराग्राफों में संदर्भित निर्णयों में चर्चा की गई है। खेल के नियम एक बार शुरू होने के बाद चयन प्रक्रिया के बीच में नहीं बदले जा सकते। इस प्रकार इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.08.2022, एम.वी.एस.आई. के पद के लिए भाग लेने के लिए डिग्री धारकों के पात्र और पात्र होने के मामले का समर्थन नहीं करता है, जहां तक वर्तमान भर्ती प्रक्रिया-2021 का संबंध है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बीच में ही लिया गया डी.ओ.पी. का उपरोक्त निर्णय एम.वी.एस.आई. की भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता है।

46. तुल्यता समिति की दिनांक 14.10.20122 की रिपोर्ट की बात करें तो, इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यह पहले ही देखा जा चुका है कि जब डी.ओ.पी. के संयुक्त सचिव द्वारा जारी दिनांक 30.08.2022 का पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया था, तो याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने एक मुद्दा उठाया था। आपत्ति है कि डी.ओ.पी. दिनांक 18.10.2021 का एक परिपत्र है कि शैक्षिक योग्यता और समकक्षता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, समिति दिनांक 18.10.2021 के परिपत्र के अनुसार गठित मामले का निर्णय करेगी। तदनुसार, इस न्यायालय ने दिनांक 20.09.2022 के आदेश के माध्यम से, सचिव, डी.ओ.पी. को निर्देश दिया कि वह इस मामले को दिनांक 18.10.2021 के परिपत्र के अनुसरण में गठित समतुल्यता समिति के समक्ष रखे। समतुल्यता समिति को इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि एम.वी.एस.आई. के पद के लिए योग्य योग्यता मानने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च शैक्षणिक योग्यता ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता के बराबर है। इसके अलावा, समतुल्यता समिति के लिए इस मुद्दे पर विचार करना भी आवश्यक था कि क्या ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च शैक्षणिक योग्यता, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अधिग्रहण को पूर्व मानती है।

47. राज्य के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.10.2022 के अतिरिक्त शपथ-पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई विशेषज्ञ/समतुल्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 को इस निर्णय के पैरा-8 में निकाला गया है। रिपोर्ट में तथ्यात्मक मैट्रिक्स का वर्णन शामिल किया गया है और यह सामान्य चर्चा की सामग्री से भरा है। यह देखा गया है कि केंद्र सरकार की 8 मार्च 2019 की अधिसूचना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करती है और यह अधिसूचना एम.वी.एस.आई. के पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता को पात्र बनाने की अनुमति देने की राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके अलावा, यह रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर समिति की राय को शामिल करती है कि उच्च योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना न तो उचित है और न ही तर्कसंगत है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एम.वी.एस.आई. के लिए पिछली भर्ती परीक्षा में निर्देश दिया गया था कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अधिक

शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे निष्कर्षों/टिप्पणियों से विशेषज्ञ समिति का निष्कर्ष इस आशय से व्यक्त किया गया है कि दिनांक 30.08.2022 के पत्र में एम.वी.एस.आई. पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता को पात्र घोषित करने वाली डी.ओ.पी. की राय उचित है।

48. समतुल्यता समिति की रिपोर्ट के अनुगमन से, इस न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट में अस्वच्छता समिति की रिपोर्ट अधूरी है। रिपोर्ट में, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि एटोमैटिक/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कैसे होती है, एबॅट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री को पूर्व-अधिनियम के रूप में जाना जाता है, और इसके अलावा डिग्री को समकक्ष डिग्री के मुद्दे पर रिपोर्ट छोड़ दी जाती है। एमवी एडुकेटर के पद पर अनुयायियों के उद्देश्य से समान निर्देश। पाठ्यपुस्तक समिति की रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री पाठ्यक्रम और कोचिंग पाठ्यक्रम के सिलेबस में कोई विचार और अध्ययन का विवरण नहीं दिया गया है। रिपोर्ट डिग्री और बैचलर पाठ्यक्रम में विशिष्ट छात्रों पर मस्तिष्क के प्रयोग और साज-सज्जा को शामिल नहीं किया जाता है। इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में पार्श्व प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि डिग्री को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अकादमिक पाठ्यक्रम की पूर्व शर्त माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ की इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उच्च योग्यता होने के कारण डिग्री को कम से कम समकक्ष योग्यता माना जाएगा। इस प्रकार, विशेषज्ञ और समतुल्यता समिति की रिपोर्ट उस संबंध में उत्तर धारक के मामले में कोई समर्थन नहीं देती है।

49. इस संबंध में, **अजित के. बनाम अनीश के. [(2019) 17 एससीसी 147]** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ। जहां याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने भरोसा जताया है, वह उचित होगा। इस मामले में, हेल्थ इंस्पेक्टर पाठ्यक्रम (डीएचआईसी) में डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नगरपालिका सामान्य सेवा में जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रेड III के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1967 के नियमों के अनुसार, निर्धारित योग्यता एसएसएलसी और सेनेटरी

इंस्पेक्टर प्रमाणपत्र थी। यद्यपि नियम 10(ए)(ii) के प्रावधान के आधार पर, यह प्रचारित किया गया था कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले से ही प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल हो और प्रमुख सचिव के पत्र के साथ-साथ विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी शामिल हो। रिकॉर्ड पर उपलब्ध, हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए और केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय की शुद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार के किसी भी कार्यकारी आदेश या स्थायी आदेशों द्वारा समकक्षता का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। न ही ऐसा कोई निष्कर्ष निकला कि डीएचआईसी, निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व मानता है। आरपीएससी ने नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है।

**अजित के. (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय का अनुपात निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और दिनांक 30.08.2022 के पत्र में डी.ओ.पी. की राय और 14.10.2022 की समतुल्यता समिति की रिपोर्ट के बावजूद, रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है दर्शाएं कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए डिप्लोमा प्राप्त करना पहले से आवश्यक है और इसे दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन के साथ-साथ 1963 के वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित योग्यता के भीतर एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। प्रश्नगत पोस्ट के लिए.

50. प्रतिवाद में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने **चन्द्रकला अधिवक्ता बनाम राजस्थान राज्य [(2012) 3 एससीसी 129]** के निर्णय को विश्वसनीय माना है। इस मामले में, "समतुल्यता" शब्द पर चर्चा की गई और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समतुल्यता शब्द का अर्थ दिया जाना चाहिए और मानकीकरण या समायोजन के कुछ स्तर हैं जो निर्धारित आवश्यकता को कम नहीं करते हैं। यह देखा गया कि "समतुल्यता" और "साटिक" क्या है, इसके बीच कुछ अंतर होना चाहिए। उस मामले के साक्ष्य पर, शिक्षक स्तर II, उच्च प्राथमिक मध्य विद्यालय की नियुक्ति के लिए सलाह, छात्रवृत्ति, स्नातक या समकक्ष या समकक्ष या बीएड या बीएड या समकक्ष। अपीलार्थीगण ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली थी और एमए की डिग्री भी हासिल कर ली थी। इसलिए, उच्चतम  न्यायालय ने भारत के संविधान के 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि अपीलार्थीगण पर विचार किया जाना चाहिए और अपीलार्थीगण

को पहले ही अनंतिम प्रतिबंध को निरस्त नहीं करना चाहिए।

वर्तमान मामले में, यह दिखाने/साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है या दोनों समकक्ष हैं। यह सामान्य बात है कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा इन मुद्दों पर पहले से कोई विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रत्यर्थीगण का समर्थन नहीं करता है।

51. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **आनंद यादव बनाम यूपी राज्य [(2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 823]** के मामले में दिए गए हालिया निर्णय पर भी भरोसा जताया है। जिसमें, शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए एमएड की डिग्री को एमए (तकनीकी) की डिग्री के बराबर माना गया था। उस मामले में, दो डिग्री पाठ्यक्रमों के बीच समानता पर विचार किया गया था, जबकि वर्तमान मामले के तथ्यों में, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ डिग्री पाठ्यक्रम के लिए समकक्षता की मांग की गई है। हालांकि डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा की तुलना में उच्च शिक्षा है, जैसा कि **एस. सत्यपाल रेड्डी (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन दीपक सिंह (सुप्रा.) और आगे अभिषेक शर्मा (सुप्रा.) के मामले में इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा समकक्ष नहीं माना गया है।

52. डी.ओ.पी. के दिनांक 30.08.2022 के पत्र की सामग्री और समतुल्यता समिति की दिनांक 14.10.2022 की रिपोर्ट के साथ-साथ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करने के बाद, यहां ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, यह न्यायालय की राय है कि एम.वी.एस.आई. के पद के लिए वर्तमान भर्ती-2021 में भाग लेने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए आर.एस.एस.बी. और राज्य की कार्रवाई को मनमाना, अवैध, असंगत घोषित किया जा सकता है। 1963 के वैधानिक नियम और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन। दिनांक 30.08.2022 के पत्र में डी.ओ.पी. का निर्णय और डी.ओ.पी. के निर्णय से सहमत समतुल्यता समिति की दिनांक 14.10.2022 की रिपोर्ट, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों के अधिग्रहण को पूर्व-निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डिप्लोमा का पाठ्यक्रम और

डिग्री को डिप्लोमा के समकक्ष माना जाएगा, ताकि डिग्री धारकों को वर्तमान भर्ती-2021 में डिप्लोमा धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल सके। तदनुसार, अंक संख्या (ii) का निर्णय याचिकाकर्तागण के पक्ष में और प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दिया गया है।

53. यहां ऊपर की गई चर्चाओं और कारणों से, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जब ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री 24.11.2021 के विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं है, तो 1963 के वैधानिक नियमों में भी, पात्र होने के लिए वर्तमान भर्ती-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करें, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2021 जारी करके एम.वी.एस.आई. के पद के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने और भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आर.एस.एस.बी. द्वारा. इसके अलावा, नियुक्ति और नियम बनाने वाला प्राधिकारी होने के नाते, राजस्थान राज्य ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया-2021 में एम.वी.एस.आई. के पद के लिए पात्रता योग्यता के रूप में ऑटोमोबाइल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित नहीं की है और न ही डी.ओ.पी. के दिनांक 30.08.2022 के बाद के पत्र के अनुसार साथ ही समतुल्य समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 को राज्य सरकार के निर्णय के विकल्प के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जो वर्तमान चयन प्रक्रिया की शुरुआत में कभी नहीं लिया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि डी.ओ.पी. के पत्र दिनांक 30.08.2022 और समकक्ष समिति की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 में, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा के बीच समानता के मुद्दे पर विचार नहीं किया है और न ही उस डिग्री पर विचार और राय दी है। उच्च योग्यता, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अधिग्रहण को पूर्व मानती है, इसलिए, प्रत्यर्थीगण का रुख दिनांक 15.12.2021 के कार्यालय आदेश का समर्थन करना और ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को पद के लिए वर्तमान भर्ती 2021 में आवेदन करने और भाग लेने की अनुमति देना है। इस न्यायालय द्वारा एम.वी.एस.आई. को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

**एस सत्यपाल रेड्डी (सुप्रा.)** के निर्णय में, ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री को डिप्लोमा की तुलना में उच्च योग्यता माना गया था, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता को सक्षम और

आवेदन करने की पात्रता निर्धारित की थी। सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए, इसलिए,उच्चतम न्यायालय ने डिग्री धारकों को यह कहते हुए अनुमति दी कि धारा 213(4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की तुलना में कोई अतिरिक्त या उच्च योग्यता निर्धारित करना राज्य सरकार की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में है। 1988 के अधिनियम के अनुसार। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने वर्तमान भर्ती में प्रश्नगत पद के लिए पात्र होने के लिए ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता निर्धारित नहीं की है। 1963 के नियमों, या किसी अन्य न्यायिक घोषणा में यह घोषित करने के लिए कोई नियम नहीं है कि डिग्री के लिए डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त करना पहले से ही उच्च योग्यता है। आर.एस.एस.बी. द्वारा दिनांक 15.12.2021 के कार्यालय आदेश जारी करने मात्र से, ऐसी पात्रता को किसी भी योग्यता को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

**जहूर अहमद (सुप्रा.)** के मामले में दिए गए निर्णय में, जिस पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा जताया है, उच्चतम  न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि किसी भी नियम के अभाव में, न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं होगा कि ए उच्च योग्यता के लिए आवश्यक रूप से किसी भी अन्य योग्यता को प्राप्त करना पूर्व शर्त है, भले ही वह निम्न योग्यता हो। न्यायिक समीक्षा के दायरे या निर्धारित योग्यता का विस्तार करना उसकी भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार, योग्यता की समकक्षता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सके। यह भी देखा गया है कि सी.डब्ल्यू.पी संख्या 382/2022, दिनांक 15.12.2021 के लागू कार्यालय आदेश जारी होने से पहले ही दायर किया गया था और इस प्रकार इस रिट याचिका में याचिकाकर्तागण ने डिग्री की अनुमति देने के लिए आर.एस.एस.बी. और राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी है। धारकों को पात्र मानना और परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले एम.वी.एस.आई. के पद के लिए वर्तमान भर्ती 2021 में डिप्लोमा धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना।

54. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। आरएसएसबी द्वारा जारी दिनांक 15.12.2021 का विवादित कार्यालय आदेश निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी-

आर.एस.एस.बी. को ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को छोड़कर, दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन के अनुसार मोटर वाहन उप-निरीक्षक के पद के लिए योग्यता के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार करने का निर्देश दिया गया है और राज्य द्वारा योग्यता सूची के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। कानून के अनुसार.

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है, यदि उन्होंने पहले ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर लिया है/कर चुके हैं और निर्धारित के अनुसार ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की योग्यता हासिल कर ली है। दिनांक 24.11.2021 के विज्ञापन में योग्यता के मानदंडों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। कोई लागत नहीं।

55. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

**(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति**

SACHIN

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।